राजस्थान विधान सभा

६५वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक ३१ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १६६७

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया इसका उत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६६८

श्री जुझारसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया इसका भी उत्तर आगे देखिये)

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं पूछ लूं आपकी इजाजत हो तो ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, श्री हनुवन्तसिंह ।

प्रश्न संख्या १६६९

सन् ५१ से ५४ तक जैसलमेर से ढोरों की चोरी कर पाकिस्तान ले जाना

श्री हनुवन्तसिंह—क्या मुख्यमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५१ से ५४ तक जैसलमेर जिला से पाकिस्तान में गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट, सांड इत्यादि पशुओं को कितनी कितनी तादाद में चोरी से पाकिस्तान वाले ले गये ?

Page No.2

[श्री हनुवन्तसिंह]

(ख) सरकार ने मालिक मवेशी को कितनी मवेशी वापिस करवाई व किन-किन को वापिस दी और किस किस को अभी मिलनी बाकी है ?

श्री जयनारायण व्यास—No in formation, about this Question has yet been receieved in the secretariat ,It is. therefore, requested to fix some other date for its reply.

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Chandmal Mehta.

प्रश्न संख्या १६७०

बस सर्विस की गाडियों में बैठकों का ठीक नियतन न होने के कारण यात्रियों को कष्ट

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) बस सर्विस की गाड़ियों में सीट्स किस हिसाब से मुकर्रर की जाती हैं ?

(ख) प्रति सीट के लिये कितनी जगह कानूनन आवश्यक है ?

(ग) क्या यह सही है कि गाडियों में इतनी ज्यादा सीट्स पास कर दी जाती हैं जिससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—(क) ड्राइवर और कन्डक्टर के अलावा एक पब्लिक सर्विस वेहिकल के यात्रियों की संख्या जो उसमें ले जाई जा सकती है। गाड़ी के रजिस्टर्ड लेडन वेट में से २४० पौंड और गाड़ी का अनलेडन वेट घटाकर १३० का भाग देने से जो संख्या आवे उससे अधिक नहीं होती।

(ख) एक सीट का क्षेत्रफल १५ वर्ग इन्च कानूनन आवश्यक है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या कानूनन जितनी सीटें एक गाडी में मुकर्रर की जानी चाहिये उससे ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं ? इसके सम्बन्ध में कभी कोई जांच की गई ?

श्री रामकरण जोशी— जो रूल्स उनको दी जाती है वे उस कानून के मुताबिक ही दी जाती हैं। अगर कोई ज्यादा कहता है तो दूसरी शिकायत आने पर जांच हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६७१

चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी और भदेसर के सर्किल इन्स्पेक्टर सरदार चरणसिंह का अनुचित व्यवहार

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी और भदेसर तहसील के वर्तमान सर्किल इन्स्पेक्टर पुलिस श्री सरदार चरणसिंह के अत्याचारों और अन्यायों की बहुत शिकायत है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरदार श्री चरणसिंह ने कोर्ट के अधिकार अपने हाथ में लेकर बसेड़ा ग्राम निवासी एक गरीब कीर की लाली नाम की महिला को दीगर कीर खैरोदा परगना निवासी के बिना कानूनी कार्यवाही किये ही पुलिस कस्टडी में रख कर सुपुर्द कर दिया है ?

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया है ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) जी नहीं, ऐसा कोई समाचार नहीं आया। सरदार चरणसिंह के विरुद्ध केवल एक शिकायत ग्राम कारुन्डा पुलिस स्टेशन छोटी सादड़ी के श्री रतनलाल तेली ने इस बात की की थी कि श्री चरणसिंह ने उससे २०० रु० बतौर रिश्वत लिये हैं।

(ख) जी हां। यह बात एस. पी. चित्तौड़गढ़ के नोटिस में आते ही उसने विभागीय जांच की तथा अपनी जांच की रिपोर्ट डी० आई० जी० पी० उदयपुर को पेश कर दी है, जो वहीं पर अभी तक पेन्डिंग है।

(ग) जी नहीं। कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। श्री चरणसिंह के विरुद्ध जो कुछ भी कार्यवाही की जाएगी। वह एस० पी० चित्तौड़गढ़ की जांच रिपोर्ट पर निर्भर है।

श्री जयचंद्र मोहिल—क्या कार्यवाही की गई।

श्री जयनारायण व्यासः—उसकी जांच करवाई गई है और एस० पी० ने अपनी रिपोर्ट डी. आई. जी, पी. के पास भेज दी है जो उनके दफ्तर में अभी तक विचाराधीन है। उसके ऊपर डी. आई. जी. पी. के दफ्तर से जो कुछ सिफारिश आयेगी उसके बाद में कार्यवाही की जायगी कि सजा दी जाय या नहीं दी जाय या दी जाय तो क्या दी जाय।

श्री प्रभुदयालः—यह फैसला कब तक हो जायगा?

श्री जयनारायण व्यासः—मैं डी. आई. जी. पी. से पूछ कर जवाब दे सकता हूं कि वह कब तक फैसला कर सकेंगे।

प्रश्न सं० १६७२

चित्तौड़ जिले के पुलिस इन्सपेक्टर सरदार चरणसिंह का तहसील पंचायत बोर्ड के चुनावों में अनुचित हस्तक्षेप

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि छोटी सादड़ी, बडी सादडी, भदेसर तहसील के वर्तमान सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस सरदार श्री चरणसिंह के विरुद्ध छोटी सादडी तहसील पंचायत बोर्ड के चुनावों में अनुचित हस्तक्षेप करने की कोई शिकायत आई थी?

(ख) क्या यह सही है कि कारूंड वगैरह देहात के वोटरों को सर्किल इन्सपेक्टर श्री चरणसिंह ने बुलाकर डराया धमकाया? यदि हां, तो उसकी क्या जांच की गई?

श्री जयनारायण व्यासः—(क) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

(ख) वही उत्तर जो (क) में दर्ज है।

और चूंकि शिकायत नहीं आई अतः आगे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयचन्द्र मोहिल—तारीख १६ को आपके पास शिकायत की गई थी, क्या यह सही है?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे कोई ऐसी शिकायत के बारे में याद नहीं। अगर दफ्तर में भेजी गई है और मुझ तक अभी नहीं पहुंची है, तो यह भी संभव हो सकता है।

श्री जयचन्द्र मोहिल—एक रजिस्ट्री भेजी थी उसमें रिसीट पर आपके साइन हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मैं रजिस्टर्ड चिट्ठियों पर साइन नहीं किया करता हूं। मेरा पी. ए. किया करता है।

श्री जयचन्द्र मोहिल—इस शिकायत के आधार पर वहां पर क्या किया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री जयचन्द्र मोहिल—आपके पी. ए. साहब यहां पास ही में बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये ।

श्री जयनारायण व्यास—पी. ए. असेम्बली का मेम्बर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६७३

किशनगढ़ और सरवाड़ के बीच चलने वाली गाडियां

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ़ और सरवाड़ के बीच में कितनी गाड़ियां चलाने की आज्ञा दी गई हैं ?

(ख) उक्त गाडियों में से कितनी चालू नहीं हुई ?

(ग) कितनी गाडियां चालू होकर बन्द हो गई ?

(घ) गाडियां चलाने की आज्ञा प्राप्त कर चालू नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—(क) पांच ।

(ख) एक ।

(ग) एक ।

(घ) परमिट होल्डर ने नहीं प्रकट किये ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्तियों को पर्मिट दे दिये गये हैं जो कि गाडियां नहीं चलाना चाहते हैं लेकिन लाइनों के परमिट बेचते रहते हैं ।

श्री रामकरण जोशी—यह परमिट देते वक्त किसी को मालूम नहीं होता है कि वह चलाना चाहते हैं या परमिट बेचना चाहते हैं ।

Page No.6

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन लोगों के पास गाडियां नहीं थी उनको परमिट दिये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह परमिट कायदे के मुताबिक दिये जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसा कायदा है कि ऐसे व्यक्तियों को परमिट दे दिये जांय जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं और जो लाइनें दूसरे आदमियों को बेचते रहते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—नई लाइनों पर गाड़ियां चलाने के लिए इस तरह का तरीका करना पड़ता है । यह मोटर वेहीकल एक्ट के मुताबिक सही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के पास गाड़ियां होती हैं उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—डेफीनिट इन्स्टान्सेज़ देकर पूछिये कि किनको दी गई है और कनको नहीं ?

श्री चांदमल मेहता—कल एक क्वेश्चन डेफीनिट पूछा गया था । आज यह सरवाड के बारे में पूछ रहा हूं कि वहां २ गाड़ियों को परमिट दी गई थी जिनमें से एक बन्द हो गई । तो उन गाड़ियों के सम्बन्ध में ही यह सवाल खड़ा किया गया है कि जो आदमी इजाजत लेते हैं और गाड़ियां चालू नहीं करते हैं; जो इजाजत लेकर बन्द कर देते हैं तो यह समझा जाय कि ऐसे आदमियों को जो केवल व्यापार करने के लिये अपने नाम से गाड़ियों की इजाजत लेना चाहते, हैं उनको भी परमिट दिये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—वहां उसमें कोई स्कोप नहीं होगा, नहीं तो मुनाफा कौन छोड़ना चाहता है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि इजाजत देते वक्त में यह निश्चित नहीं किया जाता है कि उक्त लाइन के ऊपर कितनी गाड़ियां चलाने का स्कोप है ?

श्री रामकरणजोशी—यह सब किया जाता है लेकिन वह सब अन्दाजे की बातें होती हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब उन लोगों पर जो कि गाड़ियां नहीं चलाते हैं या चालू करके बन्द कर दी हैं, उनके बजाय दूसरे आदमियों को गाड़ी चलाने के लिए सरकार इजाजत देने को तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी—आर. टी. ए. परमिट दिया करते हैं । सरकार परमिट नहीं देती है । आर. टी. ए. के पास दरख्वास्त करें ।

श्री चांदमल मेहता—क्या आर. टी. ए. सरकार का अंग नहीं है ?

Page No.7

श्री अध्यक्ष—सरकार का अंग ? It is a statutory body. The Hon'ble Member is a lawyer. He should know that it is a statutory body.

('He is not a lawyer" A voice).

श्री अध्यक्ष—He is more then a lawyer.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर के आधार पर यह समझा जाय कि मोटर वेहिकल के अन्दर यह कानून है कि जिसके पास मोटर नहीं हो तो उसे भी परमिट दिया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—Order !कानून है, उसमें आप देखियेगा। यहां क्या पूछते हैं ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जब किसी के पास मोटर नहीं है तो परमिट......

श्री अध्यक्ष—आप रूल्स देखियेगा, यह लॉ के बारे में है और कोई इनफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बोलिये।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जिसके पास मोटर नहीं हैं उनको भी परमिट मिल सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—आपकी सूचना के लिये बता दूं कि उसमें ऐसा है।

श्री अध्यक्ष—और जानकारी कर लीजियेगा, अगर बाकी रही हो तो।

प्रश्न संख्या १६७४

पुलिस थाना सेडवा तथा बाखासर (जि॰जालौर) को जिला बाडमेर में मिलाना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि सरकार जालोर जिले के. पी. एस. सेडवा व पी. एस. बाखासर को बाडमेर जिले में मिलाने का विचार रखती है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक ?

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि इन दोनों पुलिस स्टेशन्स को बाड़मेर जिला में मिलाने से वहां की जनता को बड़ी राहत मिलेगी ?

Page No.8

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मंत्री) (क) जी हां।

(ख) जब कि समस्त राजस्थान की स्कीम कार्यरूप में परिणत होगी।

(ग) जी हां, इसी विचार से यह काम हाथ में लिया गया है।

प्रश्न संख्या १६७५

पलाना कोल माइन्स में १९५० से प्रतिवर्ष कोयला निकालना

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या खनिज विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) पलाना कोल माइन्स ने सन् १६५० से आज तक प्रतिवर्ष कितने २ रुपयों की आय का कितने २ टन कोल निकाला ?

(ख) पलाना कोल माइन्स से प्रतिवर्ष ज्यादा से ज्यादा कितने टन कोल निकल सकता है ?

(ग) पलाना कोल माइन्स से प्रतिवर्ष दो ढाई हजार टन से ज्यादा कोल नहीं निकलने की क्या वजह है ?

(घ) पलाना कोल माइन्स के मैनेजर को वहां पर काम करते आज कितने वर्ष हो गये हैं ? उनकी क्या योग्यता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) सन् १६५० से आज तक पलाना की खानों से नीचे लिखे अनुसार कोयला निकला—

सन्	टन	कीमत
१६४६-५०	६१,०२६	७,१५,०७६
१६५०-५१	११,४००	१,२७,०८०)
१६५१-५२	४०,२५८	४,५४,५९४)
१६५२-५३	४५,००७	५,०५,३६१)
१६५३-५४	३०,६२४	३,४६,४६२)

(ख) १,००,००० टन।

Page No.9

[श्री जयनारायण व्यास]

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर से स्पष्ट है, पलाना की खानों से प्रतिवर्ष दो-ढाई हजार टन से कहीं अधिक कोयला निकाला जाता है।

(घ) वर्तमान मैनेजर को २६ वर्ष से अधिक हो गये हैं। उन्हें कोयले की खानों का प्रबन्ध करने की योग्यता का सेकिन्ड क्लास सार्टिफिकेट प्राप्त है, तथा ३१ वर्ष का कोयले की खानों का अनुभव है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—वर्तमान मैनेजर जब सेकन्ड क्लास हैं, माइनिंग रूल्स के माफिक और ढाई हजार मन से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकता तो फर्स्ट क्लॉस मैनेजर क्यों नहीं रखते ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या १६७६

पशम (ऊन) का उद्योग तथा व्यवसाय वृद्धि के लिए शासकीय कदम तथा इससे शासकीय आय

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) राजस्थान में पशम (ऊन) का व्यापार व इंडस्ट्री बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी रकम इस कार्य के हेतु खर्च होती है ?

(ग) राजस्थान में कुल कितनी भेड़ (भेष) है और प्रति वर्ष कितनी मन पशम पैदा होती है और उसके कस्टम से सरकार को प्रति वर्ष कितनी आय है ?

(घ) भेड़ पालकों को उचित मूल्य मिले, इस हेतु सरकार ने कच्चे ऊन के विक्रय की सुविधा के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

(ङ) क्या यह सही है कि भेड़-पालन करने वाले को सर्वदा कम भाव में पशम बेचना पड़ता है और व्यापारी तथा वोहरों को ही ऊंचे भाव में मुनाफा कमाने का मौका मिलता है ?

(च) राजस्थान में ऊन के उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) सरकार ने राजस्थान में ऊन का व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये एक भेड़ व ऊन उन्नति विभाग और भेड़ और ऊन डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की है जिसके द्वारा हर प्रकार की उन्नति के कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इस कार्य के लिये लगभग ३ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं।

(ग) राजस्थान में कुल ५४ लाख भेड़ें हैं और लगभग ३ लाख मन ऊन प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है जिससे कस्टम द्वारा सरकार को लगभग ३० लाख रुपये प्रति वर्ष की आय होती है।

(घ) कच्चा ऊन विक्रय की सुविधा के लिये सरकार ने ४० ऊन केन्द्र तथा ४ सहकारी संघों की स्थापना की है जहां सामुहिक रूप से भेड़ों की ऊन काटकर साफ करवाने के बाद बिक्री करवाई जाती है और बाद में उचित मूल्य पर बिकवाने का प्रयत्न किया जाता है।

(ङ) केवल छोटे-छोटे भेड़-पालक वर्ग को ऊन की कमाई का मौका कम है। जो बड़े बड़े भेड़-पालक हैं उनको ऊंचे भाव मे बेचकर कमाई करने का मौका है।

(च) राजस्थान में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भेड़ों की नस्ल सुधार अच्छी ऊन उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। अच्छे २ मेढ़े वितरण किये जाते हैं और कर्जा देकर उनके लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऊन के कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में ऊन की (धुलाई व कताई) के केन्द्र खोल दिये गये है। इसके साथ ही ऊन के अनुसंधान की भी व्यवस्था की गई है। ऊनी माल को क्रय-विक्रय के काबिल बनाने की योजना बनाई गई है जिसकी पूर्ति के लिये स्थायी कार्य किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य—मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर देते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनके माने समझते हैं या नहीं मुख्य मंत्रीजी ?

श्री अध्यक्ष—आप तो समझते हैं, यही काफी है।

श्री कानसिंह—३० लाख रुपये की आमदनी जो ऊन से सरकार को होती है उसमें से कौन से डिविजन से ज्यादा होती है ?

श्री जयनारायण व्यास—आमदनी कस्टम विभाग को होती है इसलिये यह प्रश्न कस्टम विभाग वालों से पूछा जाय तो वे आपको आमदनी का ब्योरा बता सकते है।

श्री मोतीलाल चौधरी—३ लाख रुपया जो खर्च होता है वह कितने साल से होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं अभी के बजट की बात कर रहा हूं। यदि आप चाहें तो सन् ४६ के बाद के आंकड़े मिल सकते है।

श्री मोतीलाल चौधरी—यह विभाग कब से खुला है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह बहुत पहले से खुला है। राजस्थान कायम होने के पहले से यह विभाग खुला हुआ था, कई रियासतों में, और बाद में इसका एकीकरण हुआ।

श्री कानसिंह—जो ३० लाख रुपयों की आमदनी इससे सरकार को होती है उसमें से कितनी रकम इसकी उन्नति में खर्च की जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—३० लाख रुपयों से बहुत ज्यादा उन्नति के लिये खर्च किया जाता है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि इन्टीग्रेशन के बाद इस विभाग ने कोई खास प्रगति नहीं की है ?

श्री जयनारायण व्यास—काफी प्रगति हुई है, जिसका उत्तर में दे चुका हूं।

श्री हनूतसिंह—आपने फरमाया था कि भेड़ें भेजे गये, तो क्या बता सकते हैं कि ये भेड़ें कहां कहां भेजे गये ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस बारे में इस समय सूचना नहीं दे सकता लेकिन जो भेजे गये हैं उनमें से चौखले में भेजे गये हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—ऊन की मार्केटिंग का प्रबन्ध कहां कहां किया गया ? कहां कहां इसकी एजेन्सीज़ हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—सारे राजस्थान भर में किया गया, क्योंकि भेड़ें राजस्थान भर में फैली हुई हैं। और कहां कहां इसकी एजेन्सीज़ है, इसके बारे में अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—एजेन्सीज़ का क्या सिस्टम रखा गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—भेड़ों की नस्ल सुधारने केलिये उचित प्रबन्ध किया गया है, ऊन की धुलाई के काम की सुविधा है।

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरा अर्थ है मार्केटिंग से ! बाजार में बिक्री का क्या प्रबन्ध है ?

श्री जयनारायण व्यास—बाजार में बेचने के लिये ज्यादातर प्राइवेट एजेन्सीज़ हैं, लेकिन हमारे मार्केटिंग ऑफिसरों के जरिये उनको सलाह दी जाती है। हम बिक्री का काम नहीं करते।

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरा अर्थ यह था कि ऊन की बिक्री का क्या प्रबन्ध है ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रबन्ध यह है कि अच्छी और साधारण भेड़ों की ऊन का ग्रेडिंग करके ऊन व्यापारियों को दी जाती है और व्यापारियों को हमारे मार्केटिंग अफसरों द्वारा सलाह दी जाती है।

श्री सन्तोषसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने भेड़ों को सुधारने के लिये तो भेड़ों का प्रबन्ध बताया लेकिन यह नहीं बताया कि उनको चराने का क्या इन्तजाम है ?

श्री जयनारायण व्यास—चारागाह है जहां भेड़ें चरती है।

श्री सन्तोषसिंह—पहले जितने चारागाह थे उन सब के बापी पट्टे हो गये। अब चारागाह बिल्कुल नहीं रहे हैं।

श्री जयनारायण व्यास—भेडें उपवास नहीं किया करतीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या भेड़ों की नस्ल अच्छी करने के लिये आस्ट्रेलिया से भेड़ें मंगाई गई ?

श्री जयनारायण व्यास—पहले आस्ट्रेलिया से मंगाई गई थीं, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि आस्ट्रेलिया में भेड़ें बीकानेर से गई थीं।

श्री कानसिंह—ऊन की कताई, बुनाई और रंगाई के कोई कारखाने यहां बनाये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—ऊन कातने और कपड़े बुनने के कारखाने हमारे यहां नहीं हैं, बल्कि कई गृह उद्योगों में कुटीर उद्योग के तौर पर कताई-बुनाई होती है।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या सरकार ऊन की लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या होम इंडस्ट्री हो, यह विवादास्पद प्रश्न है। प्राइवेट सेक्टर से लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिये मांग की गई तो विचार कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपने तौर से बहुत बड़ा कारखाना खोलने का विचार नहीं रखती।

श्री मोतीलाल चौधरी—कच्ची ऊन को पक्का बनाने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—कच्चे माल को पक्का करने के लिये वीविंग हो जाता है। कच्चे माल से धागा बनता है और धागे से कंबल बनता है, तो वह पक्का हो जाता है।

श्री मोतीलाल चौधरी—इसके डेवलपमेन्ट के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

Page No.13

श्री जयनारायण व्यास—कहीं कहीं अच्छे अच्छे कपड़े, कंबल या आर्टिस्टिक कंबले बनती हैं, तो उनको हम अपने यहां और दिल्ली में एम्पोरियम में बेचते हैं और उनकी काफी बिक्री होती है। ये सारी चीजें मुन्नसर होती है अच्छे आर्ट के ऊपर। जैसी अच्छी चीज़ बनी हुई होगी उसी पर बिक्री मुन्नसर होगी।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि शीप और वूल इंप्रूवमेन्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई प्रचार नहीं है, खास कर गांवों में ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि काफी प्रचार हुआ है और होता है। कई जगह प्रदर्शनियां की गई हैं। एक प्रदर्शनी साबड़ा में भी हुई थी जिसे मेरे भाई खेतसिंहजी ने भी देखा है। लेकिन मैं मानता हूं कि गांवोंकी संख्या को देखते हुए यह प्रचार बहुत काफी नहीं है।

एक माननीय सदस्य—बीकानेर और जोधपुर के अलावा और भी कहीं ध्यान दिया जाता है।

श्री जयनारायण व्यास—अवश्य ध्यान दिया जाता है, खास तौर से शेखावाटी में जहां के चोखले की भेड़ें मशहूर हैं। इसके अलावा मालपुरा की ओर भी काफी ध्यान दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य—टोंक और मालपुरा की ओर भी ध्यान दिया गया है या नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—टोंक में मेरा ख्याल है कि भेडों की ऊन से इतना काम नही होता जितना सूत से काम होता है और टोंक में जितनी गुंजाइश दरियों की हो सकती है उतनी ऊनी कपड़े की नहीं है, फिर भी यदि सहयोग मिलेगा तो वहां भेड़ों को सुधारने और कपड़े के विकास की ओर बराबर ध्यान दिया जायगा।

श्री मोतीलाल चौधरी—राजस्थान की ऊन कौन कौन से इलाकों में एक्सपोर्ट होती है, हिन्दुस्तान के कौन कौन से प्रान्तों में जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—वास्तव में राजस्थान की ऊन राजस्थान से बाहर तो जाती हैं लेकिन ज्यादातर राजस्थान से बाहर ब्यावर चली जाती है, अमेरिका में जाती है जो कार्पेट के नाम से मशहूर है।

श्री मोती लाल चौधरी— कितना मूल्य ऊन का आता है?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिये अलग प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल— भेड़े कहां की अच्छी होती है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं कह चुका हूं कि चोखले की।

Page No.14

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या सरकार के ध्यान में है कि भेड़ें चराने के लिये राजस्थान में भूमि नहीं होने से प्रति वर्ष भेड़े राजस्थान से बाहर यू.पी., सी. पी. में जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास— राजस्थान की भेड़ें बाहर जाने का रिवाज चरागाह की कमी के कारण नहीं परन्तु पानी की कमी की वजह से है। पानी कम बरसता है तो चली जाती हैं और पानी अच्छा बरसता हैं तो नहीं जाती हैं। हो सकता है कि चरागाह की कमी हो, परन्तु इतनी नहीं है कि जिससे भेड़ों को तकलीफ महसूस हो।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि बीकानेर और जयपुर की भेड़े अच्छी हैं ?

(हंसी)

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि दोनों जगह की भेड़े अच्छी हैं और एक्सचेंज की काफी गुंजायश है।

(हंसी)

वही माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि भेड़ों की तादाद बढ़ती जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—हां, बढ़ती ही जा रही हैं। वैसे भेड़े बढ़ती भी जल्दी हैं और जब मरने लगती हैं तो मरती भी बहुत हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—इन दोनों स्थानों की केवल भेड़ें ही अच्छी होती हैं या मेंढ़े भी अच्छे हैं !

श्री जयनारायण व्यास—दोनों ही अच्छे हैं।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १६७७

ग्राम मालगाम (त० रेवदर, जिला सिरोही) में चार चोरियां तथा बरामद शुदा माल

श्री जवानसिंह--क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गांव मालगाम तहसील रेवदर जिला सिरोही में गत माह जुलाई में क्या चार चोरियां हुई हैं !

(ख) इन चोरियों में से किन किन मामलों का माल पुलिस बरामद कर सकी है ?

[श्री जवानसिंह]

(ग) अगर नहीं, तो इस असफलता का क्या कारण है ?

(घ) पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) केवल एक चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना पामेरा में दर्ज हुई है ।

(ख) इसमें अभी तक माल बरामद नहीं हुआ है ।

(ग) मुकदमा अभी जेर तफतीश हैं और पूछताछ हो रही है ।

(घ) इसका उत्तर (ग) में आ चुका है ।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि एक चोरी के अलावा और भी तीन चोरियों की रिपोर्टें पुलिस थाना में भेजी गई थीं ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य की ओर से मुझे यह सूचना मिल रही है । पर मैंने प्रश्न का जो उत्तर है वही सूचना ठीक है । अगर यह सूचना जो दी जा रही है, सही हो, तो इसकी जांच की जा सकती है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सच है कि ऐसी चोरियां जो बरामद नहीं होती हैं उनमें पुलिस अधिकारियों का हाथ रहता है ?

श्री जयनारायण व्यास—चोरी करने का सबको अधिकार है; चाहे चोर हो, चाहे एम. एल. ए. हो और चाहे मिनिस्टर हो । भले आदमी चोरी नहीं करते । चोरी करते हैं तो उनकी चोरी पकड़ी जाती है ।

श्री जवानसिंह—क्या यह सरकार जिम्मेदारी के साथ कहती है कि सबको अधिकार है ?

श्री जयनारायण व्यास—बुरे आदमी को बुरा काम करने का अधिकार है । उसको सरकार की ओर से अधिकार नहीं है ।

श्री जवानसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट हैं राजस्थान सरकार का ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को समझ नहीं सके हैं । बुरे आदमी होते हैं वे बुरा काम करने का अपना अधिकार समझते हैं ।

श्री मोतीलाल चोधरी—अगर माननीय सदस्य इसे फंडामेंटल राइट समझें तो क्या सरकार इसके लिये उनको सजा देने को तैयार है ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

No question of fundamental rights, It depends upon a particular type of a person.

प्रश्न संख्या १६६७

स्वर्गीय श्री मानमल जैन के पेट का रसायनिक परीक्षण

श्री अध्यक्ष—(श्री मुख्य मंत्री को संबोधित करके) क्या आप जवाब देंगे ?

If you think it proper in public interest.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— मैं दे सकता हूं ।

(श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा भेजा गया प्रश्न)

Will the Home Minister be pleased to answer:—

(a) Has the Government received any report on the Chemical Examination of the contents of the stomach of (late) Manmal Jain ?

(b). If so, what are the conclusions arrived at after such examination ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संतोषसिंह—पोस्ट-मोर्टम की रिपोर्ट क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा सरकार के पास पोस्ट-मोर्टम की रिपोर्ट नहीं आती । वह मजिस्ट्रेट के पास गई है ।

श्री संतोषसिंह—मरने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा मालूम हुआ है कि धतूरा पोइज़निंग की बात गलत है, उसे पोइज़न नहीं दिया गया ।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—केमिकल ऐनेलाइज़र की रिपोर्ट से मौत की वजह क्या मालूम हुई है ?

Page No.17

श्री जयनारायण व्यास—केमिकल ऐनलाइज़र की रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट के पास पहुँची है पर पुलिस के जरिये सरकार ने जानकारी की तो उससे पता चलता है कि उसे कोलोनरी थोरेम्बोसिस थी, धतूरे या संखिये का पोइज़न नहीं हुआ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या धतूरे या संखिये के अलावा और कोई दूसरा जहर दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने बीमारी का नाम बताया है और कोई प्रकार का जहर नहीं हुआ है, ऐसा बताया है।

राज श्री हिम्मतसिंह—मरने से पहले उसकी तन्दुरुस्ती की हालत कैसी थी ?

श्री जयनारायण व्यास—जैसी जिंदा आदमी की होती है, बीमारी डेवेलप हुई होगी।

राज श्री हिम्मतसिंह—इसका मतलब यह है कि बीमारी नहीं थी, तन्दुरुस्त था।

श्री जयनारायण व्यास—"बीमारी" और "तन्दुरुस्ती" ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। हम अभी इतने यहां हैं उनमें हरेक में कोई न कोई बीमारी हो सकती है, जो परिस्थितियां आने से भयंकर हालत कर सकती हैं।

श्री सन्तोषसिंह—तो क्या उसकी बीमारी अकस्मात हुई है ?

श्री अध्यक्ष—कोलोनेरी थोरेम्बेसिस इज़ एनोदर नेम ओर हॉर्ट डीज़ीज़ ?

श्री जयनारायण व्यास—अकस्मात् हार्ट डिज़ीज़ की वजह से मौत हुई है। पोइज़निंग नहीं हुआ है, यह मैं बता सकता हूँ।

श्री कानसिंह—केमिकल एनेलाइज़र के पास कितने दिन तक कागज़ात रहे ?

श्री जयनारायण व्यास—केमिकल एनेलाइज़र की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आती, मजिस्ट्रेट ने मंगाई है, उसके पास आई है। सरकार को पुलिस की मार्फत इसका ज्ञान है। इसलिये सारी तफसील से जवाब देना सरकार के लिये इस समय मुश्किल है।

राज श्री हिम्मतसिंह—राजस्थान में कहां कहां पर केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिये विसरा भेजा जाता है ?

श्री अध्यक्ष—It is an independent question. लेबोरेटरीज़ में भेजा जाता है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६६८

ग्राम कंवरपुरा के सरकारी गवाहों को अकलरा बुला कर खर्चा न देना

श्री जूंझारसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:-

Is it a fact that 8 persons of village Kanwerpura, Tehsil Khanpur, District Jhalawar, were called as Government witnesses at Aklera on 9 occasions from the 23rd September, 1953 to 18th June, 1954 in Kidara Dhanna V/s etc. Bhonra 147 Criminal P. Code case and have not been paid a single time so far ?

How long does the Government intend to call these witnesses in future without payment ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जी नहीं, केस नं ३६३ के सब गवाहों को खर्चा दे दिया गया था। केस नं० ४१८ के गवाहों को ३-७-५४ को डिस्चार्ज किया गया। नियमानुसार उनको खर्चा जिस दिन से डिस्चार्ज हो उसी दिन मिलता है। परन्तु ३-७-५४ को उनमें से कोई भी अपना खर्चा लेने उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनको खर्चा नहीं मिला। गवाह लोग कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देकर अपना खर्चा प्राप्त कर सकते हैं।

अब भविष्य में किसी गवाह को नहीं बुलाया जायगा।

श्री अध्यक्ष—Question hour is over.

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १९५३

क्लाज ३६ ई

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, ३६ ई का जवाब मैं बाद में दूंगा क्योंकि कुछ लीगल पोइन्ट्स उठाये गये हैं उनके बारे में कुछ जानकारी करना आवश्यक है।

खण्ड ४०

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ४०।

Shri Mathura Das Mathur to move his amendment.

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment—

For sub-clause (2) of clause 40, the following be substituted, namely:—

[श्री मथुरादास माथुर]

"(2). A division of a holding shall be effected in the following manner, that is to say.

(I) by agreement between the co-tenants in respect of-

(a) such idvision of the holding, and

(b) the distribution of rent in respect of each portion of the holding subdivided;

(11) by the decree or order of a competent court passed in a suit instituted for the purpose of sub-dividing the holding by one or more of the co-tenants."

माननीय अध्यक्ष, दफा ४० (२) जो कि ओरिजिनल बिल में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है उसमें मेरी यह तरमीम है कि उसको बिल्कुल हटाकर उसकी जगह को क्लॉज़ मैंने पढ़ा है वह सबस्टिटय़ूट कर दिया जाय। इसमें और उसमें कोई अन्तर नहीं है। कुछ तो भाषा का अन्तर है और कुछ इस बात का कि अगर को-टिनेन्ट में आपस में एग्रिमेन्ट होजाय तो वह होल्डिंग डिवाइड हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्ट के बारे में जो कि 'ईच पोर्शन ऑफ होल्डिंग' है उसका भी एग्रीमेंट है तो वह भी डिवाइड हो सकती है। अगर किसी कम्पीटेन्ट कोर्ट द्वारा डिक्री या आर्डर हो जाय तो वह भी डिवीजन ऑफ होल्डींग हो सकता है। यह मेरा साधारण संशोधन है, सदन इसे मन्जूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि ओरिजनल बिल की क्लॉज़ ४० जिस प्रकार से है उसमें कोई संकट प्रतीत नहीं होता, लेकिन अब जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इस रूप में आया है जिसके शुरू के जो शब्द हैं "A division of a holding shall be effected in the following manner." उनके आगे शब्द लिखे हुए हैं। "that is to say." मेरा यह ख्याल है कि यह भाषा जो है, वह कानूनी नहीं है, जो केवल एक्सप्लेनेशन के तरीके की रहती है और अमूमन कानूनों में नहीं लाई जाती। संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ऐसी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि ये शब्द कानूनी भाषा के नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय तो ठीक रहेगा। इससे आपका जो मतलब है उसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि 'that is to say' इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय बाकी सब क्लॉज़ बिल्कुल ठीक है।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज का जो हैडिंग है वह इस प्रकार है : "Division of holding" और संशोधन पेश किया गया है; क्लॉज़ ४० के सब क्लॉज़ (२) के सब क्लॉज़ (ii) में:—

"By the decree or otder a of competent court passed in a suit instituted for the purpose of sub-dividing the holding" यानि जहां तक इसका ओरिजिनल हैडिंग है उसमें तो डिवीजन ऑफ होल्डिंग है लेकिन होल्डिंग का सब डिवाइडिंग समझ में नहीं आता है। माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका डिवाइडिंग का सब डिवाइडिंग कैसे होगा, यह तो मेरी समझ में नहीं आया। और इसमें 'इफेक्टेड' जो शब्द है उसकी स्पेलिंग भी गलत है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, जो अमेन्डमेंट इस क्लॉज में पेश हुआ है और जो ओरीजिनल बिल की दफा है उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस क्लॉज़ का जो सब क्लॉज़ (३) है वह ऊपर के सब क्लॉज़ (२) से मेल नहीं खाता।

"(3) No agreement for the division of a holding and the distribution of the rent thereof shall be binding on the landholder unless he agrees thereto in writing."

मैं समझता हूं कि इस क्लॉज की जरूरत नहीं। ऐसे सबक्लॉज की जरूरत नहीं है,कारण यह है कि अगर एक लेन्ड होल्डर है और वह लेन्ड होल्डर और टिनेन्ट आपस में एग्री कर लें कि फलां जमीन फलां के पास रहेगी अगर आपस में डिवीजन कर लें तो इसमें लेन्ड होल्डर को क्या एतराज हो सकता है, उसको तो बराबर रेन्ट मिलना चाहिये।

सब क्लॉज (२) का सेकन्ड पार्ट डिक्री और आर्डर ऑफ कोर्ट के लिये है, अगर कोर्ट से डिग्री या आर्डर हो जाता है तो लेन्ड होल्डर उस डिग्री या ऑर्डर का बाउन्ड नहीं है। जहां तक मैं इसको समझता हूँ मेरे ख्याल में इसमें यह प्रोविजन है कि लेन्ड होल्डर को राइटिंग में डिवीजन के लिये एग्री करना चाहिये, अगर सब टिनेन्ट आपस में एग्री हो जाते हैं तो इसमें लेन्ड होल्डर की मन्जूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिये। इस तरह से यह जो प्रोविजन है वह फिजूल हो जायगा। The landholder may or may not agree. He can dictate his terms. इसमें जो कन्सेन्ट का प्रोविजन है इसको हटा देना चाहिये, ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया, (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, इस क्लॉज़ पर जो तरमीम पेश की गई है उसे हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें से जैसा मेरे मित्र सिरोही से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि "that is to say" शब्द यहां से हटा दिये जाएं तो यह उपयुक्त मालूम होगा।

उसी तरह से यह "sub-dividing the holding by one or more of the co-tenants" जहां लिखा है वह हटाकर केवल "dividing the holding by one or more of the co-tenants." रह जावे तो वह उपयुक्त हो जावेगा, ऐसा वे कहते हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इन तरमीमों को करने के लिए डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य सहमत हैं तो बाद में मैं समझता हूँ कि जो क्लॉज़ रह जवेगी वह इस पर्पज को पूरा करने के लिए उपयुक्त होगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—How will the clause read then ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—It will read thus :

"(2) A division of a holding shall be effected in the following manner:

(i) by agreement between the co-tenats in respect of-

(a)sub-division of the holding, and

(b) the distribution of rent in respect of each portion of the holding sub-divided;

(ii) by the decree or order of a competent court passed in a suit instituted for the purpose of dividing the holding by one or more of the co-tenants."

श्री अध्यक्ष—So I put it to vote.

The question is that the amendment moved by Shri Jawan Singh to the amendment of Shri Mathura Das Mathur be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment to the amendment of Shri Mathur by Shri Jawan singh is accepted.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४० में श्री मथुरादास माथुर को संशोधित रूप में संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.22

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड ४० संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४० संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

खण्ड ४१ ।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, my amendment to Glause 41 is :—

"In the Proviso to sub-clause (2) of clause 41, for the words, letters and brackets "clause (b) or clause (c) or clause (d)" the words, letters and brackets " clause (a), (b), (c) or (d)" be substituted, and for the words 'preference shall be decided by lot', the words 'the claims shall be decided in the prescribed manner " be substituted.'

यह बिल्कुल टेक्निकल अमेंडमेंट है। मेरे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन के सामने इसको स्वीकारार्थ पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Mehta.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४१ पर मेरे तीन अमेंडमेन्ट्स हैं।

पहला सब क्लॉज़ (२) की लाइन दो में "and" को डिलीट करने का है।

दूसरा सब क्लॉज़ (२) में इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बारे में है।

तीसरा प्रोविजो के अन्दर शब्द "Clause (a) or " after the word 'in' in line two of the proviso" बढ़ाने का है।

अध्यक्ष महोदय, यह सब क्लॉज़ (२) इस तरह है :

"(2) When the sale of a holding is ordered under sub—section (1) the court shall order a valuation of the same to be made,and ......and offer it ......"

तो इसमें 'and' दो मर्तबा आ गया है। एक 'and' दूसरी लाइन में है और इसके बाद में एक 'and' और आ गया है। तो वह 'and' हटा दिया जाय।

[श्री चांदमल मेहता]

इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा है वह भी हटा दिया जाय। मेरी मान्यता है कि सम्भवतया प्रिन्टिन्ग मिस्टेक है।

तीसरा जो संशोधन मैंने रक्खा है वह श्री मथुरादास माथुर के अमेंडमेंट में कवर हो जाता है। यानि सब क्लॉज (२) का (ए) इसमें नहीं था जिसको मैंने इसमें रखने के लिए कहा है और वह माथुर साहब के अमेंडमेंट में शामिल हो जाता है। इसलिये इसको मूव करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष—तो तीसरे को मूव नहीं करना चाहते ?

श्री चांदमल मेहता—जी।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, पहले इसके कि सदन इसे (श्री माथुर के संशोधन को) मन्जूर करे, जो आप 'prescribed manner' चाहते हैं एडॉप्ट करना, तो वह अगर इस समय पहले मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। "Instead of deciding it by lot, the Government shall prescribe the manner." अगर उस चीज़ पर रोशनी डाली जाती तो यह सदन को मन्जूर करने में कतई परेशानी नहीं होगी कि सरकार कौनसा तरीका अख्तियार करना चाहती है, "in case of failure of any of the above categories."

श्री अध्यक्ष—बतलाइयेगा, सरकार की ओर से कौनसे तरीके को एडॉप्ट करना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष जी, सारे तरीके विस्तृत रूप से अभी यहां रख दिये जावें, यह तो सम्भव नहीं। एक तो ले आउट का प्रोसीजर है और दूसरा लेंड डाउन का प्रोसीजर है। इन दोनों में से मैं समझता हूं कि ले डाऊन प्रोसीजर करने के बजाय तो सरकार प्रोसीजर ले आउट कर दे तो यह अच्छा रहेगा। ज्यादातर जैसे रूल्स के बारे में होता है। रूल्स प्रेस्काइब करेंगे और बाद में गवर्नमेन्ट जैसा करती आई है प्रोसीजर ले आउट करेगी। अब क्या करेगी, कैसे करेगी उसके बारे में मैं अभी से आपको कुछ कह दूं और बाद में उसमें कुछ फर्क हो तो आप मुझे कहेंगे कि आप तो ऐसा कहते थे और यह ऐसे कैसे हो गया; तो जैसा होता आया है और सारे मामलों में वैसे ही सरकार ही इसको ले आउट करेगी और यही रास्ता मेरी दृष्टि से उपयुक्त होगा। इसलिये यहां मेरे कहने की जरूरत नहीं।

साथ ही यह अर्ज कर दूं कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने और परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खे हैं वे मुझे स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री मथुरादास माथुर ने जो संशोधन खण्ड ४१ में रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४१ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

खण्ड ४२

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में मेरा संशोधन निम्न प्रकार है:—

"The words 'or by the Headman of the village, where there is no Gram panchayat' be inserted between 'the words the circle' and 'whether such holding" in the sth and bth lines."

मेरा यह संशोधन प्रस्तुत करने का आशय यह है कि हमने ग्राम पंचायत एक्ट की तहत में राजस्थान के विभिन्न भागों में ग्राम पंचायतें स्थापित करना तय किया है। चाहे वे अभी तक सारे राजस्थान में निर्मित नहीं हुई हों, पर आशा की जाती है कि भविष्य में सब जगह ग्राम पंचायतों का निर्माण होगा। लेकिन फिर भी हमने ग्राम पंचायत एक्ट में इस बात का भी प्रोविजन रक्खा है और सरकार को यह अधिकार दिया है कि जहां पर सरकार चाहेगी वहां पर पंचायतें कायम होंगी और जहां पर सरकार नहीं चाहेगी, वहां पर वे ग्राम पंचायतें नहीं होंगी। लेकिन हमने यहां पर एक स्पेसिफिक पोजिटिव, क्लॉज़ ४२ रक्खी है जिसमें ग्राम पंचायतों के दस्तखत होना या उनकी मन्जूरी ली जाना आवश्यक रूप से माना है।

श्री अध्यक्ष—यह अमेन्डमेन्ट नम्बर कौनसा मूव कर रहे हैं आप? लिस्ट नम्बर क्या है?

श्री जवानसिंह—मेरा यह निवेदन है ?

श्री अध्यक्ष—यह एमेंडमेंट कौन सा मूव कर रहे हैं ?...

श्री जवानसिंह—क्लॉज़ ४२ पर।

श्री अध्यक्ष—लिस्ट न० ५।

श्री जवानसिंह—८४।

The number of my amendment is 84 तो मेरा निवेदन यह था कि जहां ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं होगा उस वक्त में वहां पर किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच के होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उसकी अनुपस्थिति में उसकी तरफ से मन्जूरी या दस्तखत होना, यह एक तो ऐसी चीज होगी जिसको कि सरकार पूरा नहीं कर सकेगी, और केवल ऐसा प्रोविज़ो कर देने से कि जहां पर ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं हुआ है और वहां पर सरपंच नहीं है। उस सूरत को पूरा करने के लिए अगर उस गांव के हैडमेन को वह अधिकार दे दिया जाय मन्जूरी देने का और दस्तखत करने का तो मेरे ख्याल से ऐसी कन्टिन्जेन्सी बाकी नहीं रहेगी और बिना किसी दिक्कत के कोई भी काम हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो वह परिस्थिति है जहां पर ग्राम पंचायती कायम हैं जिसका सरपंच होगा लेकिन दूसरी परिस्थिति वह होगी जहां कि ग्राम पंचायत किसी कारणवश नहीं है वहां पर केवल हैडमेन का होना आवश्यक है। हरेक गांव में हैडमेन होगा। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि यह संशोधन सदन मन्जूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir,

"In clause 42 for the words, 'A tenant not bound', the words, 'A tenant, other than a tenant, bound', be substituted.

This is an improvement on the language as the Law Department has advised and therefore, I have placed it before the House for acceptance.

श्री अध्यक्ष—Brevity is the soul of wit.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्षजी, जो संशोधन श्री जवानसिंह ने पेश किया है, मेरा ख्याल है, वह जरूरी है. क्यों कि हमें हर कॉन्टीन्जेन्सी के लिये इस एक्ट में प्रोविजन करना

[श्री श्यामलाल गोयल]

चाहिए। जब कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि कहीं ग्राम पंचायत नहीं हो और अगर ग्राम पंचायत बनाने के बाद सुपरसीड हो जाय या ऐसी और सिचुएशन आ जाय तो उसके लिए जो संशोधन उन्होंने रखा है यह बिल्कुल ठीक है। दिक्कत इसमें यही होगी कि गांव में पटेल बहुत से होते हैं, २, ४, ६, या ७; तो हैडमेन किसको गिना जायगा और किसको नहीं गिना जायगा। इसका बराबर प्रोवीजन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था।

दूसरा इसमें यह है कि इसके होने पर तो विलेजेज के लिए प्रोविजन हो जाता है, लेकिन जहां म्युनिसिपल एरियाज़ हैं और वहां जमीनें हैं जिस पर कि काश्तकार काश्त करते हैं उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो इसमें "by the chairman. Municipal Bard" और बढ़ा दिया जाय तो हरेक कॉन्टीन्जेंसी इसमें आ जायगी। इस पर विचार कर लेंगे मन्त्री महोदय और मुनासिब समझें तो इस अमेंडमेन्ट को पास करा दें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि सिरोही के माननीय सदस्य जो बात सोचते हैं वह आवश्यक है। जहां पर ग्राम पंचायतें नहीं हैं, आखिर में वह कायम होंगी ही, लेकिन इस बीच में क्या हो? हैडमैन कई होगें वाली बात जो कहीं गई है तो यह एक तरह का टेम्पोरेरी अरेन्जमेंट हैं। ज्योंही पंचातें हो जायंगी, तब तो यह क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब तक कि पंचायतें नहीं हैं तब तक के लिए क्वेश्चन रहता हैं। हैडमेन के सिलेक्शन के लिए कोई तरीका एडजस्ट हो सकता है। जहां म्युनिसिपल एरिया हैं वहां के लिए म्युनिसिपल चेयरमेन का मान लेना ही ठीक होगा जिससे कि कोई अडचन न रहे?

श्री अध्यक्ष—और कोई अमेंडमेंट ला रहे है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वह चेयरमेन वाला...

श्री अध्यक्ष—कैसे रीड करेंगे आप?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह मथुरादासजी ने मूव किया है उसको स्वीकार करने में भी मुझको एतराज नहीं होगा।

यह रीड करेगा इस प्रकार:

"Surrender—A tenant, other than a tenant, bound by a lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may on or before the 1st may surrender his holding by giving up possession thereof in writing attested by the Sarpanch of the Gram Panchayat of the circle or by the Headman of the village where there is no Gram Panchayat or by the chairmnan of the Munici pal Board whether such holding is or is not sub let or mortgaged.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात् स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलालजी गोयल ने रखा है वह भी पास किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४२, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

खण्ड ४३

श्री मथुरादास माथुर--माननीय अध्यक्ष, खण्ड ४३ पर मेरी यह तरमीम है :

In clause 43 after the words "a registered notice of his intention to do so, the words and figure 'at least 30 days before the 1st of may of any year, shall be inserted.,, यह ३० Days का नोटिस एग्रिकलचर इअर का होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—It is a very innocent amendment.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—This is acceptable to me.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादासजी माथुर ने खण्ड ४३ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४३ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ?

(मतदान के पश्चात स्वीकृत)

खण्ड ४३, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ा गया ?

खण्ड ४३ (ए)

श्री जवान सिंह--माननीय अध्यक्ष,मेरा संशोधन इसमें संख्या ८१ पर है और वह इस प्रकार से है :—

"The following proviso be added at the end of the clause

Provided that The order for the enhancement of rent shall in every case take effect from the beginning of the agricultural year."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में रेन्ट के enhancement के सिलसिले में एक प्रोसिज़र बतलाया है और वह रेन्ट जो बढ़ा दिया जायगा उसका कब तक असर होगा और काश्तकार को क्या अधिकार हैं इस enhancement of rent के बारे में इस सिलसिले में क्लॉज़ ४३ ए में बतलाया गया है। इस क्लॉज़ में काश्तकारों को यह अधिकार दिया गया है कि जब किसी भी अफसर या कोर्ट का हुक्म होगा कि अमुक काश्तकार का रेन्ट बढ़ा दिया गया है, उस सूरत में उस काश्तकार को अधिकार होगा कि वह इस हुक्म के पश्चात् अपने लैंड होल्डर को नोटिस देकर जमीन से अलग हो जावे। चाहे एग्रीकल्चरल सीजन के मध्य में समय पड़ता हो या बाद में। मेरा निवेदन यह है कि कोर्ट काश्त करने की सीजन से पहले कोई ऑर्डर देवे या बाद में देवे हमको इस बात की ओर ध्यान

[श्री जवानसिंह]

रखता हूं कि उस जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उपज हो। जहां तक काश्तकारों का सवाल है मेरा यह मत है कि अगर एग्रीकल्चरल ईयर के बीच में (enhancement) का ऑर्डर हो जाता है जब कि जमीन पर फसल बोई जा चुकी है, काश्त कर दी है तो इस सूरत में ऐसा नहीं होनाचाहिये कि वह काश्तकार उसको छोड़कर चला जाय। इसका मतलब यह होगा कि (enhancement) की ईयर शुरु होने से पहले वक्त से माना जाना चाहिये ताकि एक नहीं तो दूसरा काश्तकार उस पर आ सके। यदि वह दर्मियान में जमीन छोड़ देता है तो दूसरा काश्तकार मिले. या नहीं मिले तो उस सूरत में वह जमीन एग्रीकल्चरल ईयर खत्म होने तक बिल्कुल बेकार पड़ी रहेगी, उससे काश्तकार को और लैंड होल्डर दोनों को नुकसान होने की संभावना है। यदि बिना काश्त के वह जमीन रह गई तो उस काश्तकार के द्वारा जिसने सरेन्डर करने की मंशा पहले ही जाहिर कर दी है तो उस जमीन में पैदावार नहीं हो सकेगी और उसका फायदा काश्तकार को और जनता को नहीं मिल सकेगा। इसलिये enhancement का ऑर्डर एग्रीकल्चरल ईयर शुरू होने से पहले माना जाय तो काश्तकार, लैंड होल्डर और जमीन की पैदावार तीनों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उसे मंजूर करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—Mr. speaker Sir, I beg to move the following amendment to clause 43 A:-

"Insert the following new clause between clause 43A and 43B and renumber the rest of the clauses:—

"Any tenant instead of or in addition to sending a registered notice to the land-holder under section 43 or 43A may before the expiry of the period prescribed for sending such notice, make an application to the Tehsildar who shall thereupon cause the notice to be served on such land-holder paying the cost of service.' "

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४३ और ४३ ए. में रजिस्टर्ड नोटिस देने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। मैंने मेरे अमेंडमेंट द्वारा एक और ढंग से नोटिस देने की व्यवस्था करने की मांग की है और वह यह है कि रजिस्टर्ड नोटिस दे देने के बाद और यदि रजिस्टर्ड नोटिस न दें तो भी तहसीलदार की मार्फत नोटिस दिया जा सके बशर्ते कि इसका खर्चा जमा करादे। पोस्ट ऑफिस के जरिये नोटिस देने से कई अड़चनें पैदा हो जाती हैं, जिनको दूर करने की नियत से मैंने अपना अमेंडमेंट रखा है। मैं समझता हूं यह साधारण और आवश्यक भी है इसलिये मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इसमें जो अमेंडमेंट श्री जवानसिंहजी ने रखा है, वैसी उसकी भावना इसमें पूरी हो जाती है। इसमें यह नहीं रखा गया है कि एनहेन्समेंट ऑफ रेंट बिगनिंग में नहीं होगी तो यह सवाल नहीं आता है कि वह और किसी तरह से होगी?

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसको अलग से रखने की आवश्यकता माननीय मित्र बतलाते हैं लेकिन उन्होंने जो बात कही उस बात का समावेश यदि इसी में हो जाय तो उनके अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

इसी प्रकार रजिस्टर्ड नोटिस देने की बात रहेगी तो क्या हार्डशिप उस में आजायगी। इसको और ज्यादा लीनियेन्सी से डील किया जा सकता है। इसलिये जो ओरिजिनल क्लॉज़ है उसको ज्यों का त्यों रहने दिया जाय मैं इसी के पक्ष में हूं।

श्री जवानसिंह—मैं शायद अपने आप को, सदन और माननीय राजस्व मंत्रीजी को समझाने में सफल नहीं हुआ हूं इसलिये एक दो शब्द और कहना चाहता हूं। जिस प्रकार की क्लॉज़ यह है उसके अनुसार कोर्ट के ऊपर यह जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चरल ईयर शुरु होगा उस वक्त से ही वह ऑर्डर करेगी एन्हेन्समेन्ट का। साल के किसी भी वक्त में कोर्ट के पास मुकद्दमा जायगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगा और वह उस वक्त से लिया जायगा, इसमें उस बात का समावेश इसलिये नहीं हो पाता। एग्रीकल्चरल ईयर के शुरु में, बीच में या आखिर में किसी भी वक्त कोर्ट हुक्म दे देगी कि इतना बढ़ाया जाय उतना बढ़ जायगा। इसलिये इतना समावेश इस में नहीं होता।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—दफा ६५ को देखने से हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—If the Ho'nble Member does not change his seat....

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो अमेन्डमेंट रखा उस के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया उससे मुझे एक तरह से संतोष नहीं हुआ या मैं कहूंगा कि मेरे अमेन्डमेन्ट को पूरी तरह से राजस्व मंत्री जी ने सुना नहीं। बताया गया कि हमने लीनियेन्सी का प्रोसीजर रखा है। रजिस्टर्ड लेटर से तो नोटिस भेजा ही जाय लेकिन मेरे अमेन्डमेन्ट में यह रखा गया है कि यदि रजिस्टर्ड नोटिस देंगे और बाद में कोई चाहे तो खर्चा देकर तहसीलदार की मार्फत भी नोटिस भिजवा सकता है यदि कोई चाहे अपनी सेफ साइड के लिये तो ऐसा कर सकता है या यदि कोई नहीं चाहे कि मुझे रजिस्ट्री से नोटिस नहीं देना है क्यों कि इसमें कांपलीकेशन पैदा हो जाती है तो वह तहसीलदार की मार्फत दे दे तो इस तरह से मैंने दोनों बातें रखी हैं। इस तरह का प्रोविजन यू. पी. में है जिसके आधार पर अपना टिनेन्सी एक्ट बना है। मैं एक बार फिर माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर फिर से सोचें। इस से नुकसान नहीं होगा बल्कि लोगों को राहत मिलेगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं पहले कह चुका था और अब और अर्ज करना चाहता हूं कि तहसीलदार पर इसका बोझ और क्यों लादा जाय जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा जा सकता है। प्रोसिजर तो बहुत से हो सकते। पोस्ट के जरिये आसानी से पहुंच सकता है। इसलिये इसे ही रहने दिया जाय।

श्री जवानसिंह—मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री चांदमल से) What about you?

श्री चांदमल—यदि माननीय मंत्रीजी इसे स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं तो मुझे भी वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह व श्री मेहता को अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४३ ए. स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड ४३ ए. संशोधित रुप से विधेयक में जोड़ा गया

खण्ड ४३ बी

श्री माथुर दास माथुर—Mr. Speaker, Sir. I beg to move that clause 43 B be omitted. The heading of the present clause 43 B is Suit to set aside surrender".

अगर कानूनी नोटिस जैसा कि ऊपर ४३ ए. बी. में बताया गया है, दिया जाय और लेंड होल्डर इसे इन्वेलिड डिक्लेअर कराना चाहे तो करा सकता है, इस तरह का ४३ बी. सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में और ओरिजिनलबिल में रखा गया था और अगर कोई Suit नहीं करे तो यह समझा जायगा कि सरेंडर एक्सेप्ट किया गया। मैं यह अमेंडमेंट रख रहा हूं कि ४३ बी ओमिट कर दिया जाय। हम लॉ को कोम्प्लीकेटेड नहीं बनाना चाहते। ४३ ए. बी में नोटिस दे तो :—

It shall be deemed to have been accepted if a notice is given section 43. We don't want to go further in litigation especially between a landlord and a tenant and, therefore, I have moved that clause 43 B may be omitted. I put it before the the House for acceptance.

श्री श्यामलाल गोयल—यह जो क्लॉज़ ४३ (बी) को डिलीट करने का अमेंडमेंट श्री मथुरादास माथुर ने रखा है, मैं यह समझता हूँ कि किसी न किसी फॉर्म में यह क्लॉज़ तो रहना ही चाहिये और इसको देखने के लिये जो क्लॉजेज़ हम सरेंडर के मुतल्लिक पास करके आये हैं, उनको देखना होगा। इसमें क्लॉज़ ४२, ४३ व ४३ ए. हैं उनमें हमने यह प्रोविज़न दिया है कि रजिस्टर्ड नोटिस एक पर्टीक्युलर फॉर्म में देने पर सरेंडर हो जायगा। शरायत भी लिखी है कि कौन कौन शरायत पर सरेन्डर होगा। नतीजा यह है कि इन शर्तों के तहत में लैंड होल्डर ने नोटिस दिया और लैंड होल्डर देखता है कि उन शर्तों में से कोई पूरी नहीं होती तो इसकी क्या रेमिडी है, इसमें अन्यत्र कहीं प्रोवाइड नहीं किया है। क्लॉज़ ४२ में है कि लीज़ का टाइम खत्म हो गया हो तो सरेंडर हो, टाइम कन्टिन्यू हो तो सरेंडर नहीं हो सकता। लीज़ कन्टीन्यू कर रहा है और उस सूरत में नोटिस दे दे तो वह क्या करेगा। इसलिये इसमें वर्ड्स थे :

"A landholder, to whom a notice has been sent under section 43 or section 43 A may institute a suit to have such notice declared invalid."

इन्वेलिडिटी को चैलेंज करने का प्रोविज़न नहीं हो तो लैंड होल्डर बिना किसी रेमेडी के रह जाता है और इन्वेलिड सरेन्डर को चेलेंज नहीं कर सकता।

टिनेन्ट के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से मैं यह आशा करता हूं कि अमेंडमेंट मूव करने वाले माननीय सदस्य अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट अभी डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, इसके लिये दलील यह की है कि हम इस कानून को कोम्प्लीकेटेड नहीं बनाना चाहते। सबसे सीधी बात तो यह होगी कि इस बिल के सभी ये क्लॉज़ हटा दिये जावें। केवल इसको हटाने से तो ज्यादा कोम्प्लीकेटेड होगा और न हटाने से कम कोम्प्लीकेट होगा। क्लॉज़ ४२ और ४३ ए. पास किये हैं इनमें टिनेन्ट सरेंडर करता है, इसके बारे में कई शर्तें रखी हैं। क्लॉज़ ४२ को देखिये :

"A tenant not bound by a lease etc. etc."

ऐसे टिनेन्ट जो किसी लीज़ से बाउन्ड नहीं हैं वह सरेंडर कर सकता है। दूसरे :—

"or other agreement to continue to occupy his holding in the following year......" और तीसरा 'first May' का है।

एक दूसरे प्रकार की यह भी अड़चन सरेंडर के रास्ते में है, राइटिंग की है, अटेस्टेशन की है, रजिस्टर्ड नोटिस की है। इस प्रकार ५, ६ सरेंडर के लिये रेस्ट्रिक्शन्स हैं। बिना नोटिस दिये, बिना रेंट के पे किये अपना मन किया उसी वक्त टिनेन्ट को सरेंडर कर दे इससे लैंड होल्डर के राइट्स जो ४२ और ४३ में सरेंडर की कन्डीशन्स को मुकर्रर की है तो वह फालतू हो जाती हैं। कन्डीशन्स रखते हैं तो उनके पालन के लिये कुछ नियम, कुछ धाराएं ऐसी रखनी पड़ती हैं कि उनको कोई तोड़ता है तो उसके लिये रुकावट पैदा की जा सके, उस कार्य को वैध न माना जाय इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरेंडर की जो ४२ और ४३ धाराएं पास की हैं, वे इसको डिलीट करने से बेकार हो जाती हैं।

[श्री श्यामलाल गोयल]

यदि मान लिया जाय कि कोई सरेंडर की क्लॉज़ राइटिंग में नहीं है, वो शख्स जिसने सरेंडर किया है, अगर लीज़ से बाउन्ड है, इतना होते हुए भी वह सरेंडर कर देता है तो क्या अधिकार है, क्या कानून है जिससे कि वह उस सरेंडर को रोक दे ? लैंड लोर्ड्स किसी कानूनी तरीके को नहीं रख सकता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हटाने के लिए जो कानूनी दलील दी जाती है कि हम कानून को कोम्प्लीकेटेड नहीं बनाना चाहते, पर वह इसे हटाने से इस प्रकार कोम्प्लीकेटेड होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि पहले की क्लॉजेज़ रखते हैं तो ४३ बी. को भी रखना जरूरी है। अगर अन्कन्डीशनल है तब जैसे पहली गई, इस तरह की शर्त नहीं रखना चाहते तो कई प्रकार की बातों को हटा दें पर जब कि हमने पहले इतनी कन्डीशन्स रखी हैं तो कोई भी व्यक्ति बिना कानून की परवाह किये अपने होल्डिंग को सरेंडर कर देगा और आपने जो यह कानून की धाराएं बनाई हैं वे बेकार होंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, डीडवाने से आने वाले मेरे मित्र ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगा कि बाड़मेर से आये हुए मेरे मित्र बोल रहे थे तो उन्होंने ४३ ए. और बी. का जो कोम्प्लीकेशन पेश किया है वह जरूर वाजिब है।

वह गैर वाजिब है और मेरे ख्याल से जैसा कि दर्ज है उसके अन्दर थोड़ा सा अतिशयोक्ति पूर्ण है। पोजीशन इस प्रकार की है माननीय अध्यक्ष, टिनेन्ट्स को अपनी होल्डिंग सरेन्डर करने का हक नया कोई दे रहे हैं ऐसी बात नहीं। यह तो उनका एब्सोल्यूट हक है। यह बात तो विधान सभा के बाहर कही जा सकती है कि हमने उनके लिए हक रख दिया है। हम जो प्रोसीजर मुकर्रर कर रहे हैं जिसके जरिये सरेन्डर कर पायगा। आज हमने एक प्रोसीजर मुकर्रर किया है वह यह हैं कि उसको नोटिस देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बगैर नोटिस के सरेन्डर का काम चल जाय। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर नोटिस नहीं दिया गया और नोटिस दिया गया तो वह अटेस्टेड करके नहीं दिया गया तो इस प्रकार से काम रुक जायगा, तो क्या होगा यह कोई परेशानी की बात नहीं। लेन्ड होल्डर कोर्ट में दावा करेगा और यह कहेगा 'He is still liable to pay the rent.'

लगान देने का वह भागीदार है इस प्रकार का वह दावा करेगा। अगर यह मन्शा है काश्तकार अपने सेरेन्डर को इफेक्ट करने के पहले ही दावा करके और दावे के जरिये जब तक फैसला नहीं होता उस टीनेन्ट की घिसाई चलती रहे तो यह अन्याय होगा। यह लीटिगेशन बेकार की होगी। यह बात डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने भी रखी है। इन खण्डों को हटा देने से लीगल पोजीशन इस प्रकार की होती है कि सरेन्डर का जिस दिन से नोटिस दिया गया उसी दिन से वह सरेन्डर मान ली जाय। अगर नोटिस में कोई खामी रह गई या और कोई दूसरा एग्रीमेंट है या नोटिस में उसकी खामी की वजह से जो लीपा-पोती करना चाहते हैं तो लेन्ड होल्डर को यह प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी कि उसको स्यूट करना पड़ेगा। नोटिस की बाजब्ता तहकीकात होती है, उस पर मोहर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लगाई गई या नहीं उसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद जब तक सरेन्डर करने का कानूनी हक एस्टेब्लिश न हो जाय तब तक सरेन्डर इफेक्ट न ले यह प्रोसीजर जो है वह सब टिनेन्ट के लिए एक प्रकार से अन्यायप्रद होगा। इसलिए डीडवाना से आए हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह इसमें सहूलियत देने वाला है। तीन तरह से काश्तकार अपने हकों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं और जो बातें बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं वह अतिशयोक्ति पूर्ण थीं। उनका विरोध अतिशयोक्तिपूर्ण था इसलिए मेरे ख्याल में वे अपने विरोध को वापिस लेंगे।

(राज श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ४३ बी में जो संशोधन डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है कि इस क्लॉज़ को इस बिल से निकाल दिया जाय मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस क्लॉज़ को निकालना आवश्यक और बहुत जरूरी है। जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस बारे में सारी पोजीशन साफ करके समझा दिया है। जो ट्रेन्ड आज प्राइसेज़ का हम देख रहे हैं और किसी जमीन को पुराने कब्जे की वजह से किसान ने लेन्ड होल्डर के पास रख छोड़ रखी है उसके लिए यदि यह कहा जाय कि जब तक वह सेरन्डर करना चाहता है, जब तक अदालत द्वारा तय न हो जाय कि जो नोटिस दिया गया है वह वेलिड है या इनवेलिड है तब तक उसका सरेन्डर वाजिब नहीं माना जाता। या लेन्ड होल्डर एक्सपेट नहीं करता है तो यह पोजिशन ऐसी है जिसका नतीजा यू. पी. में भी देखने को मिलता है। इससे कई तरह के फालतू लीटिगेशन्स चलते रहते हैं। सरेन्डर किसान चाहता है किन्तु जमींदार या जागीरदार या लेन्ड होल्डर उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। जब कि सरेन्डर करने का बराबर फंडामेन्टल हक देते हैं तो इस प्रकार का लीटिगेशन हुए बिना सरेन्डर नहीं हो सकता। यह बात बिल्कुल बेजा प्रतीत होती है।

जो तकलीफात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं और उन्होंने बतलाया कि नोटिस में कमी रह जाय तो क्या होगा? इसके लिए अदालतें हैं। अदालतें क्या करेंगी? यह बात तो रखी है कि लेन्ड होल्डर को दिये जाने वाले नोटिस में की रह जाने से वह सरेन्डर वेलिड नहीं होगा, वह इसके रिट कर सकता है, कोर्ट में दावा कर सकता है, यही सारी चीजों का इलाज है। खामेख्वाह लिटीगेशन बढ़ाने के लिए इसको रखना उचित नहीं होगा अतः इस क्लॉज़ को हटा देना ही उचित होगा। इसलिए जो संशोधन डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, जो तरमीम मथुरादास जी माथुर ने रखी है मैं उसका विरोध करता हूं। क्लॉज़ जो ओरीजिनल है वह वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

जिन सदस्यों ने इसके हटाने के समर्थन में भाषण दिये उन्होंने एक पहलू पर बिल्कुल विचार नहीं किया। एक टिनेन्ट या सब-टिनेन्ट, एक रजिस्टर्ड नोटिस देता है कि वह अपनी होल्डिंग लेन्ड होल्डर को सरेन्डर करता है और दरअसल वह होल्डिंग दूसरे शख्स को दे देता है और जब लेन्ड होल्डर उस पर अपना कब्जा लेने को आता है तो वह देखता है कि उस पर दूसरे ही आदमी का कब्जा है। तो ऐसी हालत में लेन्ड होल्डर के पास क्या चारा है अपनी जमीन को लेने का ...?

श्री हरिकृष्ण व्यास—पजेशन के लिए suit करे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) ठीक है, पजेशन के लिये सूट कर कर सकता है। किन्तु जब टिनेन्ट या सब टिनेन्ट अपनी होल्डिंग को सरेन्डर करता है तो उसके लिये लाजमी है कि वह लेन्ड होल्डर को फिजीकली उसका कब्जा संभलावे। ऐसी पोजीशन आ सकती है कि सब-टिनेन्ट या टिनेन्ट को लेण्ड होल्डर ने जमीन दे रखी है और वह टिनेन्ट जिसको कि लेन्ड होल्डर ने जमीन दे रखी है उस पर दूसरा आदमी काश्त करता है, तो उसको जमीन से हटाने के लिये यह आवश्यक है कि वह सरेन्डर के लिये जो नोटिस की आवश्यकता है उसमें कानूनी या किसी प्रकार की खामी न रहे अगर किसी प्रकार की खामी रहती है तो, उसका जिम्मेवार टिनेन्ट को होना चाहिये, इस तरह से जिम्मेवारी से वह परे हट जायगा इसलिये यह प्रोविजन बड़ा आवश्यक है। जहां तक टिनेन्ट के लिये यह आवश्यक है कि यह सुविधायें हों वहां पर टिनेन्ट्स या सब-टिनेन्ट्स के लिये भी यह लाजमी होना चाहिये कि वह अपनी जमीन को जो कि उसने लेन्ड लोर्ड या लेन्ड होल्डर से ली है उसको वापिस देने का पूरा पूरा प्रयत्न करे। तब लेन्ड होल्डर को ऐसी सूरत में अधिकार दिया जाय। उसको सरेन्डर केन्सिल करने का हक मानना चाहिये। इस पर किसी भी माननीय सदस्य ने विचार नहीं किया। जब सिलेक्ट कमेटी में इस क्लॉज़ पर विचार हो रहा था उस वक्त भी यह सवाल बराबर सामने था और यह क्लॉज़ इसीलिये यहां रखा गया है। अगर किसी प्रकार का मैलाफाइड इन्टेन्शन टिनेन्ट और लेन्ड होल्डर के बीच और वह जान बूझ कर इस प्रकार की कार्यवाही करता है, वह दूसरे आदमी को अपनी जमीन ट्रान्सफर कर देता है उसको हैरान करने के लिये, तो ऐसी हालत में लेन्ड होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिये वह दावा दायर कर सकता है, जो सेरन्डर उसने किया है उसको इन वेलिड करार दे सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्य ने यह तरमीम रखी है वे उस पर गंभीरता-पूर्वक विचार करेंगे। मेरा तो यह ख्याल है कि यह क्लॉज़ जैसा है वह आवश्यक है और वह जरूर रहना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मन्त्री) माननीय चेयरमेन महोदय, इस संशोधन के संबंध में जो दलीलें हुई हैं उनको सुनकर मैं यह समझ पाया हूं कि यह जैसा क्लॉज़ है वैसा ही रखना उपयुक्त होगा। हम लेन्ड होल्डर को भी अवसर दें, अगर उसकी कोई शिकायत हो या एतराज हो उसकी रेमिडी के लिये वह सूट कर सकता है। इसको डिलीट कर देते हैं तो वह मौका नहीं मिलेगा इसलिये इस क्लॉज को डिलीट करने के बजाय जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री सभापति (श्रीहिम्मतसिंह)—आप (श्री मथुरादास माथुर) आपना अमेंडमेंट डिलीट करने का संशोधन वापिस लेना चाहते हैं या प्रेस करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर—मैं वापिस लेता हूं। मैं इसकी इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या इसकी अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह समर्थकों के साथ अन्याय हो गया साहब ?

श्री मथुरादास माथुर—मैं अपनी तरमीम वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४३ बी पास करने के लिए सम्मति ली जाती है ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४३ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४३ सी। श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Sir, I don't want to move.

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 43C;—

"The figure & word' 26 and' appearing in the second line of the clause be deleted."

चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ४३ सी इस प्रकार है "Taking possession of surrendered holding.-Subject to the provisions of sections 26 & 27, a landholder may enter upon and take possession of a holding surrendered in accordance with the provisions of this Act."

इस खण्ड को पास करते वक्त क्लॉज़ २६-२७ भी हमें देखनी पड़ेगी।

जहां तक क्लॉज़ २७ का सवाल है उसमें 'abandon" और "Surrender करने के बारे में भी चर्चा की गई है। वह इस तरह है :

"W en a female tenanat who has inheritedan interest in a holding dies or marries as the case may be, or abandons or surrenders such holding" etc. etc तो क्लॉज़ २७ में तो abandon और Surrender के बारे में चर्चा है पर जहां तक क्लॉज़ २६ का सवाल है...

श्री जवानसिंह—on a point of information, sir, क्लॉज़ २७ delete हो चुका है इसलिए उस पर कोई निर्णय करना या उसका जिक्र देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

Page No.37

श्री चांदमल मेहता—पर अगर क्लॉज़ २७ डिलीट हो गया है तो ठीक है। पर जहां तक २६ का सवाल है उसके अन्दर कहीं भी abandon और Surrender के बारे में चर्चा नहीं है। अगर क्लॉज़ २६ में चर्चा होती तो यह आवश्यक होता कि हम क्लाज़ ४३ सी में भी २६ का रेफेरेन्स देते। इस दृष्टि से यहां २६ एन्ड इन शब्दों को डिलीट करने के में मैनें अपना अमेंडमेंट रक्खा है।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इस वक्त जिस प्रकार की क्लॉज़ मौजूद है उसमें 'and 27' ये शब्द उड़ा दिये जावें। यह मेरा संशोधन है। 'and 27' को डिलीट करने के बाद ही यह ठीक रहेगा।

और जो मेरे से पूर्व अभी माननीय श्री चांदमलजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि "subject to provisions of section 26" ये शब्द तो अवश्य रहेंगे क्योंकि इस २६ में गवर्न करने का तरीका रक्खा है। इसलिये इसमें मोर्टगेज का हवाला है या नहीं है इसकी तहत में कार्यवाही तो अवश्य होगी। यह लोगों का आधार होगा और उनका के पजेशन होगा। इसलिये "Subject to provisions of section 26" ये शब्द तो अवश्य रखने चाहिये। अलबत्ता "एन्ड २७" को डिलीट कर दिया जावे।

श्री सभापति—श्री तनसिंह का अमेंडमेंट और है।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ २७ तो डिलीट होगी ही। ऐसी सूरत में सेक्शन्स २६ लिखा है, वहां सैक्शन्स में 'एस' जो है वह भी कम होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा बहस न हो। इस बहस बाद जैसा यह क्लॉज़ रहेगा वह मैं बता देता हूं। वह इस प्रकार होगा :

"Subject to the provisions of section 26, a landholder may etc etc." इस प्राकर यह क्लॉज़ रह जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No.38

श्री सभापति—और '२७' 'डिलीट होने का है ? Sections' का 's' भी डिलीट हो जावेगा। '27' भी डिलीट हो जावेगा पर 's' को हटाने के लिए किसी का अमेन्डमेन्ट तो है नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसको कोन्सीक्वेन्शियल मान लिया जावे।

श्री सभापति—४३ सी के कोन्सीक्वेन्सल अमेन्डमेन्ट करने के बाद जो सेक्शन रहती है उसको पास करने के बाबत सम्मति ली जाती है।

क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४३ सी को कोन्सीक्वेन्सल अमेंडमेंट सहित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ४४, श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, Sir, Clause 44 deals with the abandonbemen t of tenancies and my amendment is that the original clause 44 should be substituted by my amendment and, therefore, clause 44 will read according to my amendment as under:-

"44 Abandonmentbl "A tenant who ceases to cultivate his holdingbl and leaves the neighbourhood shall be presumed to have abandoned his holding, unless he leaves the holding in charge of a person responsible for payment of the rent as it falls due and gives a written notice to the land-hoeder of such arrangement."

Clause 44 as put in the Select Committee Report is a sort of complicated clause having about 4 sub-clauses; namely (a), (b),(c) and (d). Well, we don't want to go in all these details and I want that this purpose could well be served if a tenant who ceases to cultivate his holbing and leaves the neighbourhood, we will take it thathe has abandoned his holding unless he puts somebody as responsible for the payment of rent and who gives notice in writing to the land-holder of such arrangement. If this is done we will not take the holding as abandoned. Otherwise it shall be presumed that the holding is abandoned.

This is clause 44 as substituted and I put before the House for acceptance.

श्री श्री सभापति—चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Mr. chairman, Sir, मैं, श्री माथुर ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं लेकिन सिर्फ यह चाहता हूं कि जो उनका अमेन्डमेंट है कि :

"A tenant who ceases to cultivate his holding and leaves the neighbourhood shall be presumed to have abandoned his holding unless he appoints a person in charge of the holding and responsible for paym3nt of the rent as it falls due and gives a written notice to the land-holder of snch arrangement..."

'and gives a written notice to the land-holder of such arrangement; these words should be deleted.

तो ये शब्द इसमें से हटा दिये जांय। यह आवश्यक इसलिये है कि जैसा कि क्लॉज़ ४३ में यह पास किया है कि जब तक कि सब टिनेन्ट या टिनेन्ट अपने लेन्ड-होल्डर को रिटन नोटिस नहीं देता है रजिस्टर्ड, तब तक वह सरेन्डर नहीं समझा जायगा बल्कि लेन्ड होल्डर इस बात के लिए एन्टाइटिल्ड है कि वह उससे रेन्ट ले ले तो उस स्थिति में एबन्डनमेंट का नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए नहीं कि अगर कोई टिनेन्ट सरेन्डर नहीं करता है और काश्तकार का दूसरा इन्तजाम नहीं होता है तो वह टिनेन्ट लगान के लिए वैसे ही जिम्मेवार है। जो टिनेन्ट जमीन छोड़कर जाना चाहता है, जो नेबरहुड छोड़कर चला जाना चाहता है तो नोटिस देने की क्या आवश्यकता है? जब कि टिनेन्ट अपना सब कुछ छोड़ कर जाना चाहता है, गांव छोड़ता है, खेती छोड़ता है, और चला जाता है, चाहे लगान के इकट्ठा होने की वजह से हो, तो फिर पाबन्दी क्या कि रिटन नोटिस देकर जाय। मान लिजिये कि रिटन नोटिस देकर नहीं जाता है तो क्या करेंगे आप एबन्डनमेंट का मतलब यह है कि एबनडन कर दिया है। पेनाल्टी थोड़े ही करने जा रहे हैं आप? आबरन्डनर में तो ठीक है कि नोटिस नहीं देता है तो रेन्ट ले लेगा, लेकिन एबनडनमेंट में क्या करेंगें आप टिनेन्ट का? टिनेन्ट छोड़कर चला जाना चाहता है उसके लिए खातेदार क्या करेगा? सेक्शन ४३ में सरेन्डर के लिए नोटिस आवश्यक रख दिया है। एबनडनमेंट के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें से यह शब्द हटा दिये जांय।

इसकी दूसरी बात यह कि यह देखना पड़ेगा कि कोई आदमी किसी लेन्ड होल्डर की जमीन काश्त करता है वह यह समझेगा कि जब कोई मियाद नहीं मुकर्रर की गई है तो नोटिस कैसे दिया जाय, किस तारीख से वह नोटिस होगा। ऐसा कोई प्रोविजन रखा है? जो छोड़कर चला गया वह दो वर्ष के बाद नोटिस देता है कि फलां तारीख से यह समझ लिया जाय कि मैं छोड़ गया। चूंकि सरेन्डर के वक्त यह जरूर नोटिस देना चाहिए और एबनडनमेंट के लिए आप वैसा नहीं कर रहे हैं। मैं यह सुझाव देता हूं अगर आप मानलें तो इसमें नोटिस को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप रखें तो कोई खास बात नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, यह जो माननीय मथुरादासजी का एमेंड मेंट आया है क्लॉज़ ४४ के बजाय सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय नई क्लॉज़ ४४ इसके सिलसिले में श्री कपिल

[श्री श्रीदास गोयल]

देवजी ने यह कहा कि रिटन नोटिस उसके लेन्डहोल्डर को देना जरुरी नहीं है एबेनडनमेंट के केसेज में, तो मैं आशा करता हूं कि यह ठीक राय नहीं है कि नोटिस नहीं दिया जाय और उसका कारण यह है कि दफा ४४ डील करता है उन केसेज को कि जिनमें एक आदमी अपनी जमीन को छोड़कर किसी नेबरहुड में चला जाय तो आया वह जमीन एबेनडड मान ली जाय या नहीं ? आर्डीनरी कोर्स में वह एबेनडनमेंट हो जायगा और मान लिया जायगा। अगर उसके हुकूक कन्टीन्यू करना चाहता है, टिनेन्सी राइट्स उसके जिन्दा रहें तो यह निहायत जरुरी है कि वह कुछ कन्डीशन्स की कंप्लायन्स करे।

उसके दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि लेन्ड होल्डर रेन्ट किससे डिमान्ड करे। जब वह जमीन छोड़कर परदेश खाने कमाने चला गया, अकाल का समय है या फेमिली डिस्प्यूट्स हैं या और कोई एक्स्ट्रा आर्डीनरी कारण हैं उसकी वजह से उसको एक साल या दो साल के लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कोई प्रबन्ध करके नहीं जाता है तो लेन्ड होल्डर किससे रेन्ट ले। यह तमाम समस्यायें बन जाती हैं। तो आयन्दा ऐसी हालत में कोई अपने हुकूक एबेनड़न नहीं करना चाहता है तो उस मामले में For the Continuation of the tenancy rights यह लाजमी होगा कि किसी आदमी को रेन्ट देने के लिए मुकर्रर करके जाय, सब टिनेन्ट है तो लेन्ड होल्डर किस आदमी से अपना लगान वसूल करे। कौन व्यक्ति है जिसको जमीनों का निगहबान की शक्ल में छोड़कर जाता है। इसलिए in future डिस्प्यूट्स नहीं पैदा हों, दिक्कतें पेश नहीं आयें इसके लिए नोटिस की बात मानना चाहिए। श्री कपिलदेव ने उसको अदरवाइज़ समझ लिया है। एबेनडन का सवाल है वह लाजमी है। सरन्डर का जहां तक सवाल है वह उससे बिलकुल दूसरा लगता है। दूसरी और लगान वगैरह के डिस्प्यूट्स के मामले हैं और एक आदमी जमीन छोड़ना चाहता है तो बहुत से point of view हैं। किसी कारण से कब्जा नहीं देना चाहता है तो वह अपनी जमीन को सरेन्डर कर सकता है। सरेन्डर के सिलसिले से यह ज्यादा जरूरी है। एबेनडनमेंट के सिलसिले में जो यह एमेंडमेंट है वहबदस्तूर कायम रहे। श्री माथुर ने जो यह एमेंडमेंट रखा है वह स्वीकार किया जाय।

श्री जवानसिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज़ है। माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ को देखते हुए मुझे बहुत ही अचम्भा हुआ। हम अब तक जितने सिद्धान्त इस कानून में पास करते आये हैं, उनको सामने रखते हुए उन सब सिद्धांतों का यहां इस धारा में मेल हो पाया है, उसकी तरह सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने खुदकाश्त के सिलसिले में यह निवेदन किया था कि जहां रेकार्ड में किसी के नाम दर्ज है उसको मानना चाहिए। जो उसकी जमीन खुदकाश्त के सिलसिले में उसके पास है तो उसको मानना चाहिए। जो कि जागीर रिज़म्पशन एक्ट के तहत में उसको मिलेगी। उस वक्त काफी परेशानी पैदा हुई थी इस बात को मन्जूर करते हुए। उस वक्त यह कहा गया था कि ज्यादा लोगों के हकों के साथ बेइन्साफी करके रिश्वत देकर या और दूसरे तरीकों से जमीन अपने नाम दर्ज कराली है तो इस पर समुचित धारा रखनी होगी जिससे कि सब तरह की जमीन खुदकाश्त के तहत में न आ जाय।

[श्री जवानसिंह]

दूसरा हमने सिद्धान्त एक तय किया था । सबलेटिंग के सिलसिले में और उस वक्त हमारे सामने एक दूसरा सिद्धांत और था और वह था 'लैंड टू दी टिलर' यानी जो काश्त करता है उसी की जमीन है । जब मालिकाना हक का सवाल पैदा हुआ तो यह कहा गया था कि दूसरे हकों के साथ मालिकाना हक नहीं दे सकते । उस वक्त मुझे याद है कि जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक दृष्टांत quote किया था कि सेठ बिरलाजी कलकत्ते में बैठे हुए हैं और जो कुछ जमीन यहां उनकी है पिलानी में उस पर नौकर काश्त कर सकते हैं और वह खुदकाश्त होल्डर्स हो सकते हैं । उनके नाम जमीन रह सकती है । वह एक मामूली काश्तकार की तरह से बिना किसी कीमत के दिये हुए अपने मकान के लिए जमीन उठा सकते हैं पिलानी में यह दूसरी जगह जहां कि उनको जमीन है ।

इस तरह की बातें हमने इस सदन में तय की हैं, उसके पीछे काफी डिसक्शन हुआ है । उस वक्त बारबार यह कहा गया था कि जो जमीन के ऊपर काश्त करता है उसी की जमीन है । उसको ही जमीन का एकमात्र हक हम देना चाहते हैं । इस बात के लिए बहुत २ जोर दिया गया था । अभी थोड़े ही दिन पहले हमने क्लॉज़ १६ ए पास की उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तय किया है । सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी हक़ूक दिये हैं और वह इसलिए कि हम इस बात को मानते हैं कि जो इस वक्त जमीन के ऊपर काश्त करता है, वह उसका प्रमुख धन्धा है अपनी जीविका का, इसलिए उसको यह धन्धा चलाने के लिए उसकी जमीन उसके पास में होनी चाहिए । अपनी उस जमीन के ऊपर से उस सब-टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को हटा नहीं सकता तो फिर यह जरूरी हैं कि उसको उस जमीन के ऊपर खातेदारी हक़ूक दिये जांय । इस तरह का इस संबन्ध में वार्तालाप हुआ है, इस सदन में चर्चा की है और बहुतसों के पास ज्यादा जमीन है तो जो काश्त करता है उसको उस जमीन का अधिकार दिया जाय ।

साथ ही साथ इस तरह की चर्चा हुई है कि चाहे खातेदार होल्डर्स हो या खुदकाश्त होल्डर्स हो, उस जमीन पर किसी प्रकार का उनका मालिकाना हक जो कि पहले से रहा है, चाहे खुदकाश्त होल्डर की हैसियत से उन्होंने बिना कीमत दिये हुए पहले जमीन खुदकाश्त की हैसियत से रखी है, चाहे खातेदारी या पट्टेदारी के हक़ूक से रखी या बापी के हक़ूक से रखी है, या और दूसरे प्रकार से गंगानगर या और किसी एरिया में, उन्हें पुरानी रियासतों में किसी प्रकार के अपनी जमीनों पर पक्के हक प्राप्त थे, तो उन तमाम बातों को हमने मन्जूर नहींकिया है । इस पर हमने उस वक्त कहा था कि पुराने जमाने में हक कैसे भी रहे हों, हम इस बात को मन्जूर नहीं करते । आज इस बात को केवल मन्जूर करते हैं कि जमीन के ऊपर जो काश्त करता है वही जमीन का मालिक होना चाहिए । इस चीज को, इस सिद्धांत को, हमने क्लॉज़ १६ ए में मन्जूर किया है । और उसके बाद १६ बी. सी. डी. को इस प्रकार से विचाराधीन रखा है ।

अब यहां इस क्लॉज़ को हम देखते हैं तो बड़ा अचम्भा होता है कि कहां तो हम उन सिद्धांतों को लेकर कानून को पास करने के लिए चले थे, माननीय चेयरमेन, किस aim को लेकर

Page No.42

[श्री जवानसिंह]

हम बढ़े थे आगे और अब हम कहां आज इस सिद्धांत पर पहुंच गये हैं तो इस कानून के पास करते करते पता नहीं क्या नतीजा होने वाला है। इस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब हक देने का एक अवसर आया है तो वह अपनी जमीन छोड़ कर चला जाय। हो सकता है कि वह काश्तकार नहीं है, काश्त से उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन उस आदमी का नाम रखने के लिये, वह उस जमीन का मालिक है, हम उसको हटाना नहीं चाहते। मैं राजस्व मंत्रीजी का आदर करता और सरकार का आदर करता यदि वे ऐसा प्रोविजन रखते कि जो आदमी काश्त नहीं करता है, जमीन छोड़ कर चला जाता है उसका कोई अधिकार जमीन पर नहीं होना चाहिये, तो, मेरे ख्याल से, सदन भी उनकी प्रसंशा करता लेकिन इसके विपरीत यह क्लॉज़ पास की जा रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो मंजूर किया था कि जो जमीन पर काश्त करता है उसी का उस पर मालिकाना हक होना चाहिये। आर. पी. टी. ओ. की वजह से कब्जा रहा हो चाहे,चाहे उसे खातेदारी टिनेन्ट को इजेक्ट करने का हक मिल गया हो। लेकिन हम ने जो कानून पास किया था उसकी तहत में इजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह का कानून पास किया था। तो इस प्रकार की सर्वथा विपरीत क्लॉज़ हम कैसे पास करना चाहते हैं? जमीन पर किस प्रकार काश्त कर सकता है? जो छोड़कर चला जाना चाहता है उसको कैसे हक देना चाहिये? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने संशोधन पेश किया। उन्होंने उस भावना की कदर नहीं की जिसमें उन्होंने मन्जूर किया था कि जो मालिकाना हक रखते हैं उनको हक नहीं देकर सब-टिनेन्ट्स और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को हक देना चाहते हैं। एक आदमी अपनी जमीन छोड़ कर चला जाय या किसी परिस्थिति की वजह से उसको जमीन छोड़ कर जाना पड़ता है तो उसके विपरीत हमने तय किया है। दुनियां की भलाई बात करते हुए आप कहते हैं कि हमको अनएम्प्लोयमेंट की प्रोब्लम को सोल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लोय करना है। प्लानिंग कमीशन का दृष्टान्त दिया कि वे चाहते हैं कि जमीन पर उनका ही कब्जा रहे जो खुद काश्त करते हैं। यह भी कहा गया कि जो काश्त करते हैं उनको खातेदारी हक, मालिकाना हक दिया जाय इस सब के बावजूद भी जो क्लॉज़ रखी गई है वह बिल्कुल खिलाफ है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और इस बात की सफाई चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि वे किस तरह मंजूर करते हैं कि जो आदमी छोड़कर चला जाता है और लैंड होल्डर को बता कर जाता है कि मैं चला जा रहा हूं दूसरा किराया ले तो उसको दे देना। इस चीज को कैसे मंजूर कर लिया। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा कि ऐसे आदमी को जो काश्त नहीं करता अपने आप चला जाता है, उसको किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन....

श्री भैरूसिंह—मैं बोलना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका संशोधन तो नहीं है ? पहले मुझे बोलने दीजिये माननीय चेयरमेन, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुझे खुशी है कि जिस आधार पर अपनी दलील काफी वजन के साथ रखी उसको देखते हुए मैं भी आवश्यक समझता हूं कि जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट है या क्लॉज़ है उसकी तरमीम करके जिस आधार पर प्रतिपादित किया है उस आधार पर उसको अमेन्ड करने का प्रयत्न करूं। इसके लिये मैं समय चाहूंगा। इसको अमेन्ड करके बाद में रखूंगा।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४४ के ऊपर विचार हो रहा था। जैसी कि मिनिस्टर महोदय की इच्छा है इसको स्थगित किया जाता है और आगे की क्लॉज़ ४५ विचारार्थ ली जाती है। इस पर श्री चांदमल मेहता का संशोधन है।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ ४५ पर मेरे दो अमेन्डमेंट्स पहले को मैं मूव नहीं करना चाहता और दूसरा प्रिंटिंग मिस्टेक के बाबत है। 'पिजेशन' कोई शब्द नहीं होता। उसके बजाय 'पजेशन' होना चाहिये।

श्री सभापति—आप अपने 'ए' अमेन्डमेन्ट को मूव नहीं करना चाहते और 'बी' मूव करना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रिंटिंग की मिस्टेक है।

श्री मथुरादास माथुर—" In clause 45 :

"(a) in sub-clause (1), for the words and figures 'Sections 26 and 27,' the words and figures 'Section 27' be subsituted, "

In view of the fact that Section 37 has been dropped, my amendment is now that 'Sections 26 and 27' be omitted; and the words and figures " Section 27" be substituted

"(b) in sub-clause (2) of clause 45:

(i) in item (1), for the words ' three months from the date of the service or publication of the proclamation' the following words be substitued, namely:—

"sixty days from the date of the service or publication of the proclamation as the case my be,"

I have done "sixty days" instead of "three month." My second amendment is :—

"for item (ii), the following be substituted; namely,:—

Page No.44

[श्री मथुरादास माथुर]

"(ii) an objection to such entry and possession is lodged within the period aforesaid and is rejected, upon the final rejection thereof."

These are my amendments. These are mostly technical and I place them before the House for acceptance.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेअरमेन, यह जो अमेंडमेंट ६० दिन की जगह ९० डेज करने का मूव किया गया है और उसमें ९० डेज "60 days from the date of the service or publication of the proclamation as the case my be." है:—

मैं समझता हूँ यह बिल्कुल ठीक तरह से वर्डेड नहीं है। कारण इसका यह है कि लॉ जो भी बनाया जाय स्पेशली लिमिटेशन के मामले में वह डिफिनेट होना चाहिये। 'as the case may be' से काम चलता नहीं है क्यों कि सर्विस और प्रोक्लेमेशन में १०—१५ रोज का अन्तर हो सकता है। यदि सर्विस आज होती है और प्रोक्लेमेशन १५ दिन बाद होता है तो लिमिटेशन कब से गिनेंगे "whichever is earlier" ये वर्ड्स होने चाहिये। उससे डेफिनेट हो जाता है ९० डेज के बजाय ६० डेज किया वहां यदि which ever is earlir करदें तो ठीक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज पर जो संशोधन रखे गये हैं उसमें परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन (ए) मूव नहीं किया और उनका बी संशोधन शब्दों कि हेरफेर है उसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है और माननीय डीडवाना से आने वाले सदस्य ने जो संशोधन मूव किया है उसमें श्री श्यामलाल जी ने 'whichever is earlier की बात कही है वह ठीक है तो इन शब्दों को बढ़ाने के बाद इसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४५ में श्री चांदमल मेहता का जो अमेंडमेंट बी है वह तो प्रिन्टिंग एरर (error) है, दुरुस्त हो जायगी। इसके लिये वोट लेने की आवश्यकता मालूम नहीं होती।

और श्री माथुरादास माथुर का जो अमेंडमेंट है उसको मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं। प्रश्न यह है कि श्री मथुरादास माथुर के अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माथुरादासजी माथुर के अमेंडमेंट में जो श्री श्यामलालजी गोयल ने अमेन्डमेन्ट रखा है कि "as the case may be" के बजाय whichever is earlier" कर दिया जाय। तो इन शब्दों के साथ श्री मथुरादासजी का अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति—(श्री श्यामलाल गोयल से) You better give it in writing.

श्री श्यामलाल गोयल:—Just give it.

श्री सभापति—श्री मथुरादासजी माथुर के अमेंडमेंट, विथ दी अमेंडमेंट ऑफ श्री श्यामलालजी गोयल, पर मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

श्री श्यामलाल जी गोयल के अमेन्डमेन्ट सहित श्री मथुरादासजी माथुर का अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५, एज़ अमेंडेड, स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४५, एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४५ ए. । श्री चांदमल मेहता ।

खण्ड ४५ ए

श्री चांदमल मेहता:—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 45 A:—

"Substitute the words 'two years' in place of the words 'one year' in line one of sub clause (2)"

क्लाज़ ४५ ए. के सब क्लॉज़ (२) में मेरा अमेंडमेंट है। सब क्लाज इस प्रकार है:—

"(2) Any such tenant may, within one year from, the date of the service or publication of the proclamation issued under sub-section (1) of section 45, apply in the prescribed manner to the Tehsildar......etc."

जहां 'one year' है वहां मेरा दो साल करने का अमेंडमेंट है। माननीय चेयरमेन, राजस्थान की कुछ खास स्थिति है, यहां अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं और एक साल के बाद दूसरा दुष्काल भी पड़ जाता है। और जब दुष्काल पड़ते हैं तो किसान अपनी मवेशी आदी लेकर बाहर चला जाता है और अपनी जमीन को छोड़ देता है। इस प्रकार का अमेंडमेंट नहीं रखा जाय तो एक

Page No.46

[श्री चांदमल मेहता]

साल के अन्दर अन्दर वह अपना प्रार्थना-पत्र पे कर सकता है, पर जब ऐसा मौका आता है, कि जब किसान को दो साल के लिये मुतवातिर बाहर रहना पड़ता है तो उस जमीन पर वापिस काश्त करने के लिये प्रार्थना-प्रत्र देने का मौका नहीं रहता, इसलिये मैंने 'एक साल' की बजाय 'दो साल' करने का अमेंडमेंट रखा है कि अगर एक साथ दो साल तक भी काल पड़ जाय और इसकी वजह से किसान दो साल तक मुतवातिर बाहर रह जाय तो भी उसको अपनी जमीन फिर से प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश करने का हक रहे।

यह एक सीधा सा अमेंडमेंट है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री जवान सिंह:—माननीय चेअरमेन, मुझे इस धारा की जो भाषा है उसके मूल भूत आशय से विरोध ही है, पर जो शब्द रखे गये हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे यों हैं:—

"Some widespread calamity such as drought, famine, epidemic or the like or for some other reasonable cause".

ये जो शब्द हैं "widespread calamity" इसमें मेरा ख्याल है कि हमने प्रोविजन रखा है, मनुष्यों के हित में न रहने वाली परिस्थितियों के बारे में, जो आम लोगों के सामने रहती है, और वह है फेमीन वाइडस्प्रेड केलेमिटी। और इसके साथ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जो हमारे ध्यान में नहीं हैं, इसके लिये और शब्द जोड़ दिये हैं:—"or the like"

पर इसके बाद भी कौनसी परिस्थितियां रह जाती है "or for some other reasonable cause इसके लिये क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसा सवाल जिस अधिकारी के सामने पेश होगा वह इस बारे में किस तरह किस आधार पर निश्चित करेगा। अतः ये शब्द अनावश्यक है इनका अर्थ कुछ का कुछ निकला जा सकता है और न ही इन शब्दों का सदन के सामने कोई अर्थ है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय रेवेन्यू मंत्री इन्हें डिलीट कर देंगे, इससे अर्थ में अनर्थ नहीं होने वाला है और कन्फ्यूजन भी मिट जायगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, यह जो मेरे मित्र ने आपत्ति की है कि:

"Nothing contained in sections 44 and 45 shall affect the right of a tenant ceasing to cultivate and leaving the neighbourhood on account of some widespread calamity such as drought, famine, epidemic or the like or for some other reasonable cause to regain possession of his holding in the manner.........."

Page No.47

[श्री गोपीलाल यादव]

"or for some other reasonable cause" बहुत सी ऐसी बातें होती हैं "or for some other reasonable cause" में कि जिनके लिये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में और दूसरे कानूनों में बहुत सी चीजें एम्युनेरेट कर देने के बाद भी "or for some other suffcient reasonble cause" यह मेन्शन किया हुआ होता है। इसके न रहने से न जागीरदारों को फायदा होने वाला है ...

श्री जवानसिंह—यहां जागीरदारों के फायदे की बात नहीं कही गई है ।

श्री गोपीलाल यादव—ठीक है मेरा आपसे मतलब नहीं है और कोई भी sufficient cause हो सकता है जो आदमी की निगाह में न आवे, क्योंकि इन्सान की नजर छोटी है जिसको देख नहीं सकता, केलेमिटीज के अलावा मुमकिन है कोई चीज़ आ जाय, किसी तरह की भी जिसको आप आज persue नहीं कर सकते, कयास नहीं कर सकते ऐसी अनफोरसीन केटेस्ट्रोफी हो सकती है। इसलिये यह प्रोविजन रहना आवश्यक है। कोई घर बैठे बैठे भूखों मरने लग जाय या और कोई वजह हो, मैं नहीं कह सकता कि क्या हो जाय। उसी की जमीन तो उसको वापिस मिलेगी, किसी दूसरे की जमीन तो वह नहीं ले रहा है, इस रिजनेबल काज से किसी दूसरे की जमीन तो नहीं छिन रही है। अगर 'reasonable cause' ये शब्द नहीं रखे जायं और 'wide spread calamity' और इस तरह की दूसरी हालतें हैं उनके अलावा और कोई प्रकार की परिस्थिति आगे निकल जाय तो कोर्ट फिर इसके लिये कह सकता है कि wide spread calamities शब्द हैं इसमें तुम्हारी यह दिक्कत सामने नहीं आती।

मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र इसे वापिस ले लेंगे। इससे सिवा फायदे के कोई नुक्सान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (वि. स. १६)—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ पर परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। उनके संशोधन की मन्शा यह है कि अगर कोई काश्तकार एक साल में वापिस आकर अपनी जमीन पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में समय दो साल का निर्धारित करना चाहिये। ताकि वे वापस आकर अपनी जमीन पर कब्जा प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने संशोधन के समर्थन में यह दलील दी कि राजस्थान में अक्सर अकाल की समस्या बनी रहती है और अकाल के कारण काश्तकारों को अपनी मवेशियों को लेकर बाहर जाना पड़ता है उसमें उनके वापिस आने में एक साल की जगह दो साल का समय लग सकता है। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में अकाल की परिस्थितियां क्यों रहती है? राजस्थान से बाहर जो काश्तकार अपने जीवन निर्वाह के लिय या जानवरों को चराने के लिये ले जाते हैं वे अक्सर कितने समय में वापिस लौटते है? आज तक जितनी भी अकाल की समस्याओं का राजस्थान सरकार ने प्रबन्ध किया है या राजस्थान की भूतपर्व सरकारों ने किया, उस प्रबन्ध में और उस कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर देखा जाता है तो अक्सर यह चीज़ स्पष्ट हो जाती है। जब काश्तकारों के सामने

Page No.48

[श्री भैरोंसिंह]

अकाल की समस्या होती है तो काश्तकार अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे प्रान्त को चले जाते हैं लेकिन दूसरे प्रान्त में जाकर भी वे इस इन्तजारी में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वह महीना आये जिसमें राजस्थान में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। उस महीने के प्रारम्भ होने से पूर्व, एक माह पूर्व ही, वे अपनी सब मवेशियों के लेकर अपनी काश्त की जगह आजाते है और खेती के काम में लग जाते हैं। अगर हम एक साल के स्थान परदो साल रख देते हैं तो क्या होगा ?पहली दिक्कत तो यह आयगी कि जो काश्तकार एक साल के अन्दर ही अपनी मवेशियों को लेकर वापिस आ जाते थे, लेकिन इससे क्या होगा कि, वे यह सोचेंगे कि चलो एक साल और यह रहा जाय, जो जमीन अपने को मिली है उस पर और एक दफा काश्त कर लें, क्योंकि अपनी वहां की जमीन तो दो साल तक जाने वाली नहीं है, वहां दो साल के बाद भी जायेंगे तो अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त हो जायगा इस प्रकार की भावना से क्या होगा कि उन काश्तकारों को अपने यहां की जमीन पर काश्त करने में दिलचस्पी नहीं रहेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान की अकाल की परिस्थिति को देखते हुए अकाल में लोग किस प्रकार कार्यवाही करते हैं और इससे बचने के लिये क्या सरकार करती है, इन सारे दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए जो एक साल का प्रोवीजन रखा है, वही उचित है। इसलिये संशोधन को स्वीकार करना अनुचित होगा।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने मौखिक रूप से एक संशोधन रखा है वह भी बहुत गंभीरता से विचारणीय है। इस संशोधन के विपरीत भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उनकी मन्शा जो है, वह एक शब्द से पूरी हो जाती है वह है 'or like' जहां पर इस प्रकार विपत्तियों का प्रश्न है जिनके कारण काश्तकार है, वह अपनी जमीन को प्राप्त नहीं कर सकता जो स्पेसिफिक परिस्थिति करदी गई हैं उससे सामान्यतर परिस्थिति पैदा होगी तो वे सारी परिस्थितियां एक वर्ड से कवर हो जाती हैं जो ओरिजनल क्लाज़ मे है "or like'। इन परिस्थितियों के कारण इस प्रकार का सिंगल प्रोवीजो बनाना आवश्यक है। इसके साथ साथ ज्यादा उदारता नहीं दिखलाई जाय जिससे राहत के स्थान पर ज्यादा कनफ्यूजन से गुजरना पड़े और जो टिनेन्ट के मस्तिष्क में कनफ्यूजन पैदा करें। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि जवानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उस संशोधन को स्वीकार किया जाय 'or for some other reasonable cause' इसको डिलीट कर दिया जाय। जहां कुछ प्राकृतिक आशंकायें हों उनके लिये "or like' शब्द है, उनसे कवर हो जाती हैं। इसके आगे के वर्डस की आवश्यकता नहीं। इसलिये मैं माननीय श्री जवानसिंह जी ने जो संशोधन रखाहै उसका समर्थन करता हूं और सदन से यह अपील करता हूं कि उनके इससंशोधन को स्वीकार कर सद्भावना का परिचय दें।

श्री **मानसिंह महार**—माननीय चेयरमेन महोदय, परबतसर से तशरीफ लाये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। इस समय दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस पर फरमाया कि राजस्थान में एक साल का समय ही ठीक है, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इसे राजस्थान के नुक्ते-निगाह से नहीं देखा केवल दांता रामगढ़ के नुक्ते-निगाह से देखा है। राजस्थान का जैसलमेर भी एक अंग है

श्री भैरोंसिंह—मेरी निगाह में जमवा-रामगढ़ भी है।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जमवा-रामगढ़ में कभी फेमीन नहीं होता। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये सब इलाके राजस्थान से कवर होते हैं, इन सब का दृष्टिकोण इसमें शामिल होने से यदि वे सोचते तो उनको दांता-रामगढ़ की ज्यादा चिन्ता नहीं रहती। उनको जैसलमेर और बीकानेर की परिस्थिति को भी देखना चाहिये जहां पर अकाल एक साल ही नहीं, तीन-तीन साल चार-चार साल, तक पड़ता रहता है। वहां के काश्तकार ऐसे समय में अपनी मवेशियों को लेकर मध्यभारत यू. पी, और इधर उधर अमुमन जाया करते है और वहां जाकर वे जब तक वर्षा नहीं होती हैं तब तक वहां रहते हैं और अपने मवेशियों को जिन्दा रखते हैं और अपना पेट पालते हैं। ऐसी सूरत में इन लोगों के वास्ते एक वर्ष की मियाद को बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाती है तो बहुत वाजिब चीज़ होगी। हर इलाके के काश्तकारों के लिये यह बहुत अच्छा होगा। वरना उन बेचारों को एक वर्ष का अकाल पड़ा तो भी वे अपने मवेशियों को मध्यभारत में ले गये और जैसा कि दांता-रामगढ़ के आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वे एक मास पूर्व अपने मवेशियों को लेकर अपने वतन को आते हैं, वर्षा नहीं हुई तो फिर वापिस मवेशियों को लेकर भागना पड़ेगा। इस भाग दौड़ में, पहली भाग दौड़ में ही बेचारे जानवर आधे मर जाते हैं फिर दूसरी दफा जाने पर वे १ / ४ रह जायेंगे। इस तरह से एक तरफ से तो राजस्थान के काश्तकारों को हानि होगी और दूसरी तरफ हमारा जो पशुधन है उसमें कमी हो जायगी। इसलिये माननीय चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल वाजिब चीज़ है इसमें अवश्य दो साल की अवधि का जो संशोधन है उसे मन्जूर किया जाना चाहिये

इसके अलावा मेरे मित्र जो सिरोही से आये हैं उन्होंने भी एक जबानी बात फरमाई है जिसके लिये भी मैं यह कहूंगा कि वह एक ऐसी चीज है, जैसा कि कल कुछ हमारे मित्रों ने कहा क अगर सिविल सर्वेन्ट्स द्वारा जमीन छोड़ी जायगी तो उस पर नाजायज तौर पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे। नाजायज़ तौर पर कब्जा करने का इतना फिक्र नहीं, लेकिन इस प्रकार का प्रोविज़न रखने से "any some other reasonable cause" के रख देने से यह दायरा इतना बढ़ जायगा कि जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। कल हमारे मित्रों को शक हो रहा था कि सरकारी अफसरों को रीज़नबेल काज बताना या अनरीजनेबल करार देना यह एक बहुत बड़ा दायरा हो जायगा इससे पचासों गलतफहमियां और गफलतें हो जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे मन्जूर कर लेंगे, मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल ही उचित चीज़ होगी।

इसके अलावा भरतपुर से तशरीफ लाये हुए माननीय मित्र ने 'specific reasonable Cause को रखने का फरमाया। कानून में इस प्रकार का प्रोविज़न होना चाहिये। मैं मानता हूं कि वकील होने के नाते उनके लिये आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार की गुंजाइश मिल जाती है। जिस प्रकार सिरोही से आने वाले माननीय मित्र ने फरमाया...

Page No.50

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वो भी तो वकील हैं।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) वे भी वकील हैं किन्तु वे अपना दायरा सीमित रखना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि सीमित दायरा रखा जायगा तो गांव के गरीब लोग होंगे उनकी लूट खसोट में कमी हो जायगी। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन सिरोही साहब ने रखा है उसको अवश्य मन्जूर कर लेंगे।

श्री जवानसिंह—कम से कम आप नामों को तोड़ मरोड़ कर तो मत रखिये।

श्री मानसिंह महार—मुझे भी तो लोग महार साहब कहते हैं।

श्री जवानसिंह—नाम को मरोड़-तरोड़ कर आपने कहा है पर इसका तो ख्याल है नहीं।

श्री सभापति—आपकी आदत बिगड़ती जा रही है।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमैन, जो संशोधन इसमें प्रोपोज किया गया है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा और वह यह है कि :

"or for some other reasonable cause"

को डिलीट कर दिया जावे। मैं इसका विरोध करता हूं। कारण इसका यह है कि आज सदन में बैठे हुए हम लोग उन तमाम कोन्टीन्जेन्सी को नहीं जान सकते जो बाद में जाकर अराइज् हो सकती हैं। तो उनके लिए कुछ प्रोवाइड करना लाजमी है।

जो शंकाएं मेरे मित्र को पैदा हुई उनकी वजह से वे इसे डिलीशन की कह रहे हैं, वे शंकाएं निर्मूल हैं अगर हम इस क्लॉज् को देखें तो। इसमें वर्ड हैं :

"Widespread calamity such as draught, famine. epidemicor the like; or for some other reasonable cause" तो इन वर्ड्स को एक साथ जब देखा जावे तो ये बिलकुल क्लीयर है वह केलेमिटी शब्द जिस तरह है उसी तरह से होना चाहिये जैसे drought famine..epidemic or the like.

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक स्पेशल इल्सट्रेशन् इसकी देना चाहता हूं। एक काश्तकार है। उसके पास जमीन है और दो बैल हैं गरीब है वह। इत्तफाकिया दोनों बैल मर जाते हैं

[श्री श्रीदास गोयल]

और नतीजा यह होता है कि वह अहमदाबाद या और किसी जगह नौकरी करके अपना गुजारा करता है और यह उम्मीद भी करता है कि इससे दो पैसा बचा लूंगा और बैल फिर खरीद लूंगा। तो इस तरह वह इत्तफाकिया चला जाता है। तो ऐसे अगर केसेज़ कहीं आ जावें और किसी काश्तकार के पास में इतनी हार्डशिप हो जावे तो इसके लिए प्रोविजन इस कानून में रखना जरूरी है। इसलिए मेरे ख्याल से इन शब्दों का रक्खा जाना जरूरी है और इनके डिलीशन की जरूरत नहीं है।

दूसरा संशोधन यह रक्खा गया कि एक साल के बजाय दो साल कर दिये जावें तो इसके लिए भी मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं किया जावे। इसका एक कारण और अनेकों बातों के साथ साथ यह भी है कि अगर कोई लेण्ड होल्डर अबेन्डन करके चला जाता है तो उस सूरत में दूसरा इन्तजाम करता है। खुदकाश्त करे या प्रोविजन्स जैसे दूसरे हैं वैसे दूसरे सबटिनेन्ट को काश्त करने लिए दे। तो लैंड होल्डर दूसरे को बता देता है और वह काश्त करता है। इस सूरत में अगर यहां एक साल के बजाय दो साल बढ़ा दिये जाते हैं तो उस सबटिनेन्ट का क्या होगा जो अबेन्डन करके चला गया है और एक साल के बाद फिर आता है? जब वह आता है तो सब टिनेन्ट के लिए यह जरूरी होगा कि वह इसका खेत खाली करके उसके सुपुर्द करदे। तो ऐसी कॉन्टिन्जेंसीज़ के वक्त उसका राइट अनसर्टेन नहीं करना है। इसलिए एक साल का टाइम ठीक है। तो अगर दो तीन साल कर दिया जावें तो ऐसी जो केलेमिटीज़ होती हैं तो उनको वापिस जमीन मिलने की कोई आशा नहीं होगी। तो इसलिए जैसा है वैसा ही पास किया जाना चाहिए।

श्री ईश्वरीसिंह—चेयरमेन महोदय, जो बहस चल रही है उससे मुझे ऐसा लगा है कि बाकी सारी दुनिया के हक हकूक सुरक्षित हैं पर किसानों के हक सुरक्षित नहीं हैं। जो किसान सारी दुनियां को खिलाते हैं उनके अन्न दाता हैं उनकी मदद का ढोंग तो लोग बहुत करते हैं पर वास्तव में हो रहा है उन पर चारों तरफ से हमला और लोग अपना स्वार्थ साधने में ही लगे हैं।

इनकी मदद तो पहले के राजा लोग जरूर करते थे। ५६ का काल पड़ा था। ऐसा काल इस राजस्थान में तो अब तक पड़ा नहीं। तो जहां दस साल काश्तकार आपकी सेवा करता है वहां क्या एक साल जब कि काल पड़ता है तो सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि उसका निर्वाह करे?

पर आज की सरकार का कोई इन्तजाम नहीं है। मैंने सीकर के राव राजाजी का इन्तजाम देखा है ५६ में। उन्होंने तुरन्त अपनी तरफ से ४ लाख रुपया मदद के लिए निकाला और इसके साथ ही वहां के तमाम महाजनों को भी काश्तकारों की हर तरह से मदद करने को कहा। जो भी काश्तकार गया उसको चारे का इन्तजाम कराया। पानी पीने के लिए चाहिये तो सरकार ने सीकर

Page No.52

[श्री ईश्वरीसिंह]

में एक तालाब खुदाना शुरु कर दिया। और यह कहा गया कि जो काम करने पर आवे उसे दिन भर में एक सेर भर पक्के तोल का नाज दिया जावे जिससे वे अपना गुजारा अच्छी तरह कर सकें। तो इस तरह से हर काल में जो किसान अपने मवेशियों सहित दूसरे प्रान्तों में जाते थे वे जाने से रुके। तो लाखों आदमियों की और जानवरों की उस वक्त में राजा लोगों ने हिफाजत की। पर आज तो सुराज है। आज किसानों की हिफाजत की चिन्ता नहीं है। आज तो बिडला और टाटा ने लाखों बीघा जो जमीन खरीद-खरीद कर अपने कब्जे में कर रक्खी है वह उनके ही कब्जे में रहे और इसमें से उनको नहीं दी जावे जो भूमिहीन हैं और जिनके पास सिवाय इस जमीन के और कोई दूसरा जीविका का साधन नहीं इसकी कोशिश की जा रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इर्रिलेवेन्ट।

श्री सभपति—जो बात समझ में आई, बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या बोल रहे हैं?

श्री मानसिंह महार—अभी समझ में आ जावेगी। सुनें, सही आप।

श्री ईश्वरीसिंह—(जारी) इस सूरत में जो भूमिहीन हैं उनको कहीं जमीन ही नहीं दीखती है। अगर कहीं है तो कहते हैं २०गुना कम्पेन्सेशन दो तो वे बिचारे गरीब कहां से बीस गुना कम्पेन्सेशन दें। "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी" वाली बात है यह तो। इस तरह से काश्तकारी यह कानून बनाने से क्या लाभ? काश्तकारों के हक छीने जा रहे हैं और उनको वापिस नहीं दिये जा रहे हैं तो इस पर हमको पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। जरूरत क्या है इतने कानूनों की और इतनी बहस की। जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन लो और जिनके पास कम है उनको दे दो। इसमें अब कम्पेन्सेशन की क्या बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ के संबंध में जो अभी पिछले वक्त बोले उनका क्या अमेंडमेंट है? वह तो अलग से मेरे पास आया नहीं।

श्री सभापति—जवानसिंहजी का अमेंडमेंट मेरे पास आगया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह तो मैं समझ गया। तो उसके संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अमेन्डमेन्ट रखा है कि :-

"or for some other reasonable cause," शब्दों को डिलीट कर दिया जाय। शायद यह अमेंडमेंट था उनका।

श्री सभापति—हां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वह foresee नहीं किया जा सकता कि और कौन सी ऐसे केलेमिटीज़ उसके ऊपर आ सकती है या और कौन से रीजन्स हो सकते है कि जिसकी वजह से कोई आदमी मजबूरन अपनी जमीन को छोड़कर जाता है, और अगर उसको छोड़कर जाता है तो उसके आने पर उसको अधिकार क्यों नहीं मिले ! इस क्लॉज़ में अधिकार देने के लिए कहा क्या है ? कहा है उससे उसको पजेशन मिलेगा। वह सारा अपना रेन्ट वापिस जमा करायेगा और रेन्ट जमा कराने के बाद पजेशन मिलेगा। उसमें लेन्ड होल्डर्स loose' क्या करते हैं ? जब इन चीजों को यहां नहीं रखें तो इस बात को समझना है कि वेलिड रीजन्स होते हुए भी किसान अपनी जमीन से हमेशा के लिए हाथ धो सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि इन चीजों के अन्दर हमें बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। इस बात की गुंजाइश देनी चाहिए कि वह अगर वेलिड रीजन्स अपने दे सके और रीजनेबल बात मालूम हो तो उस चीज़ को कन्सीडर करने के लिए गुंजाइश रहे, इसलिए उनके इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

दूसरी बात यह कही गई है कि अकाल और दूसरी केलेमिटीज़ के लिए 'एक साल' के बजाय 'दो साल' का समय कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि अकाल और दूसरी चीजों का कन्सीडरेशन पहले सब-सेक्शन में काफी किया है और फिर जब कि एक आदमी को अपनी जमीन पर छोड़ कर जाता है और एबेनडनमेंट के बारे में प्रोक्लेमेशन हो जाय उसके बाद एक साल का समय रखते हुए भी समय कम नहीं रहता है। अधिक समय के लिए वह एप्लाई नहीं करेगा और दो साल का समय हम बढ़ायें तो किसी भी हालत के अन्दर उपयुक्त नहीं हो सकता है। उसे भी इतना सतर्क रहना होगा कि वह अपनी चीज़ को वापिस दरख्वास्त करके ले ले। इसमें जैसलमेर या और किसी भी जगह के काश्तकार जो कि बाहर जाते हैं उन पर एफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि drought or famine conditions में जिनको जाना पड़ता है उनका रेफरेन्स हमने इसके पहले के सेक्शन में दे दिया है और उसके बाद इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह इसके लिए अलग से इसमें रहें। दूसरे सब सेक्शन में कहा है कि "Any such tenant may, within one year from the date of the service or publication of the proclamation issued under sub-section (1) तो वह proclamation or publication of abandonment" हो सकता है। गवर्नमेंट के नियम दिये हुए हैं। तो इस प्रकार का पब्लिकेशन हो जाय इस बात की संभावना मान कर हमको इस प्रकार की क्लॉज़ रखने की आवश्यकता नहीं। साल भर का समय दिया हुआ है जो पर्याप्त है और जिसके अन्दर दरख्वास्त देकर वह अपने अधिकार ले सकता है। वरना इस बीच में अपना वहां सब-टिनेन्ट रख कर, जैसा कि क्लॉज़ में है, छोड़कर जाय। लेन्ड होल्डर अगर उस जमीन को पर्सनली कल्टीवेट करता है तो ज्यादा complications create हो जायेंगे, समय ज्यादा रखने में।

इसलिए एक साल का समय रखा है वह पर्याप्त मालूम होता है और इस प्रकार का एक और संदेह हटाने के बारे में जो जवानसिंहजी का संशोधन है उसे स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मूलधारा को ही स्वीकार किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, राजस्व मंत्रीजी ने यह बतलाने की कृपा की है कि अकाल के सम्बन्ध में तो सब सेक्शन (१) में पहले से व्यवस्था है। इसलिये अकाल की बात को लेकर एक साल के बजाय दो साल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चेयरमेन महोदय, आपके मार्फत माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अकाल के कारण से ही आगे उसके प्रोस्पेक्ट क्या होंगे ? कितना वक्त मिलेगा, यही सब क्लॉज़ (२) में बताया गया है। इस प्रकार अगर वह जो कि इस तरह से हैं और उसको इस तरह से साफ करते हैं:

"Rights of tenants presumed to have abandoned their holdings:—

(1) Nothing contained in sections 44 and 45 shall affect the right of a tenant ceasing to cultivate and leaving the neighbourhood on account of some widespread calamity such as drought, famine, epidemic or the like or for some other reasonable cause to regain possession of his holding in the manner, within the period and subject to the conditions specified in sub section (2)).

तो इसके सम्बन्ध में जहां तक इस अवधि का सवाल है जो सब क्लॉज़ (१) में कहा है वह अवधि निर्धारित की गई है सब क्लॉज़ (२) में, और वह है एक साल। तो इस दृष्टी से फेमीन के ऊपर यह एक साल नहीं होता। मैं तो यह मानता हूं कि एक यह लागू होता है। एक साल जो अवधि है वह सब क्लॉज़ (२) में बताई गई है। तो इस दृष्टि से अगर माननीय मंत्रीजी यह मानते हैं कि अकाल की दृष्टि से उन्हें मौका दिया जाना चाहिए अधिक समय का तो फिर से एक बार पढ़कर इस क्लॉज़ पर पुनः विचार कर लें।

श्री जवानसिंह मुझे केवल, माननीय चेयरमेन, इतना ही निवेदन करना था कि वैसे तो हमारी सरकार से रोज ही सुन रहे हैं कि कोई प्रश्न खड़ा किया जाय तो प्रश्न उठता नहीं। यहां पर भी अगर प्रश्न उठा नहीं तो मैं सन्तोष उसी में प्राप्त कर लूंगा अगर माननीय राजस्व मंत्री एक दृष्टान्त इस प्रकार का पेश कर देवें कि जिसमें जिन शब्दों को डिलीट करने के लिये निवेदन किया गया है उनका समावेश उन शब्दों के रहने से हो जायगा। एक भी दृष्टान्त सदन में पेश कर दें तो मैं अपना एमेंडमेंट उपस्थित करने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्रीगोपीलाल यादव—मैं पेश कर दूं।

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ही पेश करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया मैं आपसे निवेदन करूं आपके दृष्टान्त के बारे में कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दृष्टान्त रखा था। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि वह साल भर के लिए बाहर जायगा।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—वह सबलेट कर सकता है।

Page No.55

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक्जेक्टली सब-लेट करके जाय। अगर नहीं जा पावे तो उस हालत में प्रश्न खड़ा होता है कि साल भर सब-लेट करके नहीं जाय तो जमीन पर राइट ऑफ खातेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने कहा था कि लैन्ड होल्डर लूज नहीं करता है। वह राइट देगा यदि एरियर्स पे करता है तो। उसके बाद राइट्स मिलते हैं तो उस हालत में क्या कन्टेम्प्लेट करता है कि कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इस धारा को रखने के लिए जहां जहां किसी के राइट्स पर उल्टा असर पड़ता है उसे हटा दिया जाय, लेकिन इस क्लॉज़ में यह रखने से उल्टा असर पड़ेगा। रेन्ट नहीं मिलेगा और जमीन पड़ी रह जायगी।

जब कि यह गुंजायश हो सकती है, रीजनेबल रीजन्स की वजह से मौका देना चाहिये। मैं समझता हूँ यह क्लॉज़ ठीक है। जब उसने जमीन को अबेनडन करदी और कहा कि जमीन उससे ले ली जाय तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४५ ए. पर श्री चांदमल मेहता का अमेन्डमेंट है...

श्री चांदमल मेहता—मुझे अमेन्डमेंट वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

श्री सभापति—क्या अमेन्डमेंट वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री जवानसिंह का दूसरा अमेन्डमेंट है।

श्री जवानसिंह—वह तो मौखिक था।

श्री सभापति—लिखित रूप में आया था इसलिये उस पर वोट लिये जाते हैं ? क्या सदन को यह स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

अब क्लॉज़ ४५ ए. पास करने के बाबत सम्मति ली जाती है, क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

Clause 45 A is added to the Bill.

(विराम)

Clause 45 B, Shri Mathur.

खण्ड ४५ बी

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, Sir, my amendment is that Clause 45B be omitted. The reasons are that 45B original reads :

"Plea of abandonment by previous tenant."

My submission is that anybody can take a plea in his defence and there is no question of enumerating in this Chapter or in this Act that he can take this plea of abandonment. Therefore, if he starts taking the plea, all the people, all the defendants take the plea, then I think there will be numbers of such amendments in various Chapters. Therefore, my humble submission is that this should be omitted because in the absence of this section the right of taking a plea is inherent in any defendant. Therefore, I submit with these words that this amendment be accepted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I accept this amendment.

श्री सभापति—क्लॉज़ ४५ बी पर श्री मथुरादास माथुर का अमेंडमेंट है जिसको मंत्रीजी स्वीकार करते हैं, क्या इसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

This amendment is accepted, hence clause 45 B is deleted.

क्लॉज़ ४६

श्री चांदमल मेहता ।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर— Mr. Chairman, Sir, my amendment in clause 46 is technical. Clause 46 deals with the extinction of tenancies and in original clause 46, sub-clause (iii) my amendment is:

[श्री मथुरादास माथुर]

"In sub-clause (iii) of clause 46 after the words and figures 'the Rajathan Land Acquisition Act, 1953" the words, figures and bracketrs" (Rajasthan Act No. XXIV of 1953)" be added." I hope my amendment will be accepted.

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरा जो संशोधन क्लॉज़ ४६ (३) पर है वह इस प्रकार है: "(iii) when his land has been acquired under the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953" इसके बाद "or any other law for the time being in force may be added." यह जो लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अंतर्गत लैंड एक्वायर की जाय इतना न करके 'or any other law' कर दिया जाय तो इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं समझता हूं कि श्री तनसिंहजी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसे स्वीकार करना ठीक नहीं होगा और उसके बजाय डीडवाने से आनेवाले सदस्य महोदय ने जो अमेंडमेंट रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि जो अमेंडमेंट मैंने रखा है और जो डीडवाना से आये हुए सदस्य ने रखा है उनमें से उनका रखा हुआ ठीक है। मैं निवेदन कर दूं कि उन्होंने क्या अमेंडमेंट रखा है ? उन्होंने सिर्फ एक्ट की ओर नजर रखी है जो लैंड एक्वीजीशन एक्ट है। मैंने लैंड एक्वीजीशन एक्ट १६५३ के अंतर्गत जो जमीन एक्वायर हुई हो तो या और किसी के अंतर्गत एक्वायर हुई हो तो यह रखा है। उसके साथ साथ यह और भी हो जाय तो अच्छा है। मेरे अमेंडमेंट को उन्होंने वाजिब नहीं समझा हालांकि उसका कोई कारण नहीं है। डीडवाना के सदस्य के अमेंडमेंट को स्वीकार करने में क्या खास बात है मुझे मालूम नहीं। यदि वे ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे इसे विद्ड्रा करने में भी कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्या हाउस की इजाजत है कि श्री तनसिंहजी को उनका अमेंडमेंट विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(**स्वीकृत**)

अमेंडमेंट विद्ड्रा करने की इजाजत दी गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना अमेंडमेंट विद्ड्रा करता हूं।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४६ पर श्री मथुरादास माथुर का जो अमेंडमेंट है और जिसको मंत्रीजी ने मंजूर किया है। क्या सदन इसको स्वीकार करती है ?

(**स्वीकृत**)

[श्री सभापति]

अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ

(विराम)

क्लाज़ ४६ as amended पास करने बाबत मत लिये जाते हैं । क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

Clause 46 as amended, is added to the Bill

खंड ४६ ए

श्री मथुरादास माथुर—Mr.Caairman, Sir, I don't want to move my amendment.

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है इसमें परेशानी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है क्यों कि सब-टिनेन्ट्स को इसकी आवश्यकता थी यदि आप नहीं मूव करना चाहते हैं तो इसे मेरी तरफ से मेरा अमेंडमेंट मान लिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर—इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सभापति—४६ ए. में कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिये इसको पास करने के बाबत वोट लिये जाते हैं ? क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

Now we come to clauses 47 & 48. इन पर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है । (विराम) क्या यह दोनों क्लॉजेज़ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४७ और ४८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

[श्री सभापति]

खण्ड ४९

क्लॉज़ ४९, श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरा संशोधन इस क्लॉज़ ४९ पर यह है कि तीसरी लाइन में 'सब-डिविजनल ऑफीसर' जो शब्द हैं उनकी जगह 'तहसीलदार' रख दिया जावे । शिड्यूल नं० ३ के आर्टिकल ४८ कॉलम ७ पर जो पॉवर for deciding application. सब डिविजनल ऑफीसर को दिये हुए हैं, वही अधिकार तहसीलदार को दे दिये गये हैं । इसलिये 'एस. डी. ओ' की जगह तहसीलदार कर दिया जावे, यही मेरा संशोधन है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मंजूर है ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४९ पर श्री तनसिंहजी का जो अमेंडमेंट है, जिसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं, इस पर मत लिये जाते हैं ।

क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४९, as amended स्वीकार किया जावे ।

Clause 49, as amended, is added to the Bill.

खंड ५०

Now clause 50, Shri Shridas goel.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ५० में मेरे दो अमेंडमेंट हैं । वह यों है. "In the proviso to clause 50:

(a) In item (ii) before the words 'too costly' the words 'in his opinion' be added."

"in the same way इसका सब क्लॉज़ (३) है"

[श्री श्रीदास गोयल]

"(b) In item (iii) before the words 'not an improvement' the words' 'in his opinion' be added."

तो क्योंकि क्लॉज़ ५० के प्रोविजो में यह भी है कि "...for a work which:

(ii) is too costly for the purpose for which it is intended,"

और दूसरा :

"(iii) is not an improvement which the applicant is entitled to make-"

"The S. D . O. shall not grant permission for it. तो 'not an improvement' ......के पहले 'in his opinion' रहने से साफ हो जाता है। यह एक लीगल टर्म है इसलिये ये वर्ड्स यहां एड किये जांय।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, इसमें जो श्री श्रीदासजी गोयल ने अमेंडमेंट पेश किया है वह अनावश्यक है पर जो धारा ४९ में अमेंडमेंट स्वीकार किया गया है कि सब डिविजनल ऑफीसर की जगह तहसीलदार कर दिया जावे तो धारा ५० में भी जहां जहां एस. डी. ओ. आया है वहां तहसीलदार कर दिया जावे। यहां तहसीलदार की जरूरत है : "The S. D. O to whom an application is made under the provisions of section 49 and in heading also- "when permission may be granted or refused by the S. D. O."

इसके बजाय भी 'तहसीलदार' हो और प्रोविजो में : "Provided that the S.D. O. shall not grant permission for a work which-" एस. डी. ओ. है वहां भी तहसीलदार होना जरूरी है। He must give an opinion.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, जैसी लिस्ट आई है उसमें बाड़मेर से आने वाले एक माननीय सदस्य का अमेंडमेंट जो मंजूर किया गया उसी तरह क्लॉज़ ५० में जो श्री श्यामलालजी गोयल ने अमेंडमेंट सुझाया है वह आवश्यक प्रतित होता है। पर यह जो 'in his 'opinion' का अमेंडमेंट रखा है वह चेन्जेज करने के बाद भी 'is too costly' इन शब्दों के साथ वह जोड़े जायं तो भी उनका परपज पूरा नहीं होने वाला है। इसलिये जहां जहां एस. डी. ओ. शब्द है वहां वहां तहसीलदार कर दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या हाउस की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीदासगोयल—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति—जो अमेंडमेंट श्री श्रीदासजी गोयल का था वह तो वे विदड्रा कर चुके है । केवल शिड्यूल ३ के माफिक दुरूस्ती करने के बाद, बजाय एस. डी. ओ. के तहसीलदार दर्ज करने के बाबत (श्री श्यामलाल गोयल के सुझावानुसार, मिनिस्टर इन्चार्ज की सम्मति है ; इसलिये इसको इस तरह तरमीम किये जाने के बाबत मत लिये जाते हैं ।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० दुरूस्ती के साथ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५० दुरूस्ती के साथ स्वीकृत हुआ ।

खंड ५० ए

क्लॉज़ ५० ए, श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरा यह अमेंडमेंट भी क्लॉज़ ४९ में दिये मेरे अमेंडमेंट के माफिक यहां भी है कि 'एस. डी. ओ.' की बजाय 'तहसीलदार' किया जावे ।

और दूसरा अमेंडमेंट जो मैने मूव किया है वह यह है कि सब क्लॉज़ (२) में जो इस प्रकार हैं :

"If the tenant fails to execute the work within such period or extended period, the landholder shall have the right to make such improvement."

[श्री तनसिंह]

तो यहां पर 'have the right' की जगह पर 'shall be allowed' सब्सटीट्यूट कर दिया गया।

इसमें यह दरख्वास्त लैंड होल्डर के द्वारा दी जायगी। इसमें टिनेन्ट नहीं करता वहां तो लैंड होल्डर पहले से ही एन्टाइटल्ड है। इस तरह इसमें साफ हो जाना चाहिये :

"shall have the right to make such improvement"

or

"shall be allowed to make such improvement."

इससे क्लॉज़ की मंशा पूरी हो जाती है कि जब दरख्वास्त तहसीलदार को देगा तो इम्प्रूवमेंट करने का उसको अधिकार है। टिनेन्ट नहीं कर सके तो लैंड होल्डर को हक होना चाहिये कि वह इम्प्रूवमेंट करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मेरा अमेन्डमेन्ट बहुत छोटा सा है। वह यह है कि एक्सटेन्शन के सिलसिले में जो पीरियड रखा है वह छः महीने का रखा है उसको एक साल का कर देना चाहिये। मेरा ख्याल है कि व्यवहारिक दृष्टि से हम अगर देखें तो एक्सपेरिमेन्ट्स करने में, मेटिरियल उपलब्ध करने में काफी समय लग जाता है या अन्य कई भी दूसरे कारण हैं जिनकी वजह से देरी होजाती है। ऐसी स्थति में एक्सपेरिमेन्ट्स के सिलसिले में अगर खातेदार तैयार है, उसमें काम करवाने के लिये, अगर हम उसको प्राथमिकता देते हैं, तो टाइम लिमिट में कुछ सख्ती करना वाजिब नहीं होगा। इस वजह से एक्सटेन्शन की मियाद जो छः महीने रखी है उसको बढ़ाकर एक साल कर दिया जाय। ५१ ए में "shall not exceed six months" के बजाय, 'वन ईयर' कर दिया जाय

श्री मोहनलालसुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, जो अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ के अन्दर श्री तनसिंहजी ने रखा है, उनके जहां तक पहले अमेन्डमेन्ट का संबन्ध है वह तो आवश्यक प्रतीत होता है एस. डी. ओ. की बजाय तहसीलदार रखा जाय।

किन्तु दूसरे को मैं आवश्यक नहीं समझता क्यों कि shall be allowed शब्दों को यूज करने के बजाय 'shall have the right' इन शब्दों में जरा जोर मालूम देता है अतः shall be allowed शब्दों को रखना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

Page No.63

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो छः महीने के बजाय सालभर की अवधि बढ़ाने की बात रखी है उसको भी मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं अपने संशोधन संख्या १६२ है उसके दूसरे भाग को वापिस लेने की सदन से प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति—श्री तनसिंह अपने संशोधन के भाग २ को वापिस लेना चाहते हैं, क्या सदन की इजाजत है कि वे अपने संशोधन के भाग २ को वापिस लें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपने संशोधन संख्या १६२ के दूसरे भाग को वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ५० ए की बाबत तनसिंहजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको माननीय मंत्री स्वीकार करते हैं।

क्या सदन की यह राय है कि वह स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट जो तनसिंहजी का है वह स्वीकृत किया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ ५० ए में श्री एच० के० व्यास का अमेंडमेंट है उसे मिनिस्टर महोदय स्वीकार करते हैं। क्या सदन की राय है कि उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास का अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० ए संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

Clause 50 A as amended, is added to the Bill

क्लॉज़ ५१, श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ५१ में मैं यह अमेन्डमेन्ट चाहता हूँ।

क्लॉज़ ५१ के बाद में एक प्रोविजो और एड किया जाय जो इस तरह से हो :—

"Provided that no consent of the land-holder shall be necessary in respect of any land held by a tenant of khudkasht or sub-tenant, if the area of such land is not in excess of the minimum area prescribed by the State Government for the purposes of section 131.

तो ऐसा है कि ५१ में 'Right of other tenants to make improvements. No ghair-khatedar tenant or tenant of khudkasht or sub-tenant shall make any improvement unless he has obtained the consent in writing of his landholder"

इसमें बिना लेन्ड होल्डर की मर्जी के इस प्रकार गैर खातेदार, खुदकाश्त टिनेन्ट या सब टिनेन्ट को उसमें इम्प्रूवमेन्ट करने के लिये मुमनी कर दिया गया है और वह बिना उसकी इजाजत के कोई इम्प्रूवमेन्ट कर नहीं सकता। इस टिनेन्सी बिल की धारा १३१ को देखते हैं तो उसमें यह अधिकार दिया गया है इन लोगों को, उसमें एरिया तक का जिक्र है, काश्त करके कब्जे में जमीन रखने का अधिकार होगा। १६ ए जो इस टिनेन्सी बिल की धारा है उसमें 'एक्वीजीशन ऑफ खातेदारी राइट्स' के सिलसिले में जिक्र आया है। गैर खातेदार, खुदकाश्त टिनेन्ट या सबटिनेन्ट के ओक्यूपेशन में जो जमीन है, जो होल्डिंग है, उसमें किस प्रकार से खातेदारी राइट एक्वायर कर सकता है वह सबडिविजनल ऑफिसर को इस एक्ट के लागू होने के बाद में खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये प्रार्थना कर सकता है उन सब का जिक्र है। अगर इसको धारा ५१ द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेन्ट वह कर दे और अगर इस प्रकार का प्रोविजन रह जाता है तो गैर खातेदार या टिनेन्ट आफ खुदकाश्त को जो एरिया प्रोवाइड किया गया है उसमें इम्प्रूवमेन्ट्स कर लेता है तो वह इस प्रकार से अधूरा क्लॉज़ रह जाता है, इसलिये इस प्रोविजो का होना निहायत जरुरी है। जिस हदतक काश्त करने का अधिकार है वहां लैन्ड होल्डर के कन्सेन्ट की आवश्यकता नहीं रहती। इसी दृष्टि से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। आशा है इसको माननीय मंत्री और सदन स्वीकार करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा भी एक अमेन्डमेन्ट है जिसमें यह है कि क्लॉज ५१ के अन्त में ये शब्द जोड़ दिए जांय "Cnesent in writing of his land holder" के आगे "or of the Sub-Divisional Magistrate" ये शब्द क्लॉज ५१ के अन्त में जोड़ दिये जांय।

Page No.65

[श्री सभापति]

आपका अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का तो नहीं है आपने तो यह अमेन्डमेन्ट लिखकर दिया है "cr in case of resufal by the land·holder, of the Sud-Divisional offi cer.,,

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी अभी एक संशोधन प्रस्तुत हुआ है सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ से और वह संशोधन मेरे संशोधन की मन्शा को काफी हद तक मान्यता प्रदान करता है। यह क्लॉज जब ड्राफ्ट हुआ था तब शायद सबटिनेन्ट, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त, के राइट्स के बारे में मामला विचाराधीन था, जैसा कि कुछ हद तक आज भी विचाराधीन है। हमने क्लॉज १६ का ए. बी. सी. डी. को बाकी रख छोड़ा है। उसूलन सब-टिनेन्टऔरटिनेन्ट आफ खुदकाश्त के राइट्स का एक पहलू तो नियत हो चुका। और जो पहलू हो चुका है उससे सारे बिल के बारे में, उसमें से एक प्रकार की आवाज लगातार निकलती है और वह यह है कि सबटिनेन्ट, टिनेन्ट आफ खुदकाश्त को हम सिक्योरिटी आफ टेन्योर देना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि राइट्स आफ इम्प्रूवमेंट का सीधा संबंध फिक्सिटी आफ टेन्योर से है। अगर हम किसी काश्तकार को किसी भी मामले में फिक्सिटी आफ टेन्योर देना चाहते हैं तो वह बेमतलब है अगर उसको राइट आफ इम्प्रूमेंट उसको साथ में न दें। हकीकत में यह हो रहा है कि हम राइट आफ इम्प्रूवमेंट्स को फिक्सिटी आफ टेन्योर के साथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं।

इस वजह से हमें इस बात के ऊपर बहुत गम्भीरता से विचार करना ही पड़ेगा कि यदि अनइकोनोमिक एग्रीकल्चर हो रही है उस सबटिनेन्ट के लिए, यदि वह उस जमीन पर इम्प्रूवमेंट न करे तो, और चूंकि वह बहुत दिन तक इस प्रकार से अनइकोनोमिक कल्टीवेशन कराई नहीं जा सकती इसलिये वह मजबूर होगा उसे अबन्डन अथवा सरेन्डर करने के लिए यदि उसे उस जमीन पर इम्प्रूवमेंट नहीं करने दिया तो।

ऐसी स्थिति में लेण्ड होल्डरके हाथों में इजाजत के पूरेके पूरे अधिकार देना इसका तात्पर्य यह होगा कि आर्थिक कारणों की वजह से सबटिनेन्ट अथवा टिनेंट आफ खुदकाश्त पर दबाव रहे कि वह जो पीरियड जोड़ना चाहता है बारह साल का वह किसी भी प्रकार से उसे कायम न करने दिया जाय।

मेरे सवाई माधोपुर से आने वाले मित्र ने जो संशोधन रक्खा है उसके लिए मैंने अर्ज किया। इसका ताल्लुक भी इसी जमीन से है जो सेक्शन ३१ के अन्दर मिनिमम प्रेस्क्राइब की गई है उसके लिए इजाजत नहीं दी जावे इसका मैं समर्थन करता हूं।

यह वाजिब है। जब हम यह कल्पना करते हैं कि इतनी जमीन तो कम से कम सबटिनेन्ट के पास रह ही जानी चाहिये, रह ही जावेगा तो उस जमीन की फिक्सिटी आफ टेन्योर के सम्बन्ध में रखते हैं तो यह बेमानी हो जावेगी। लेकिन बाकी की जमीन के निस्बत अर्ज करूंगा कि उसके लिए ऐसी बात नहीं है। बाकी की जमीन के बारे मे सबटिनेन्ट को और टिनेन्ट आफ खुदकाश्त को किसी भी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रकार का फिक्सिटी ऑफ टेन्योर का अधिकार नहीं देते हैं। एक लिमिटेड हम अधिकार देते हैं कि यह जमीन बरकरार रहेगी अगर विशेष परिस्थितियां न हों। ऐसी हालत में वैसे अगर कोई बहुत बड़ा कारण न हो तब तक इम्प्रूवमेंट से उसे एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिये, इसलिये मेरा यह संशोधन है। यदि लैण्ड होल्डर ने इजाजत न दी तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जावे और वहां से इजाजत प्राप्त करने के अधिकार होना चाहिये और इस पर मजिस्ट्रेट इस बात की छानबीन करेगा कि यह ऐसी विचित्र बिडम्बना कैसे ? लैण्ड होल्डर अपने खेत में इम्प्रूवमेन्ट किये जाने से कैसे इन्कार कर रहा है ? मजिस्ट्रेट यह छानबीन करे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आर्थिक कारणों से सब टिनेन्ट का उस जमीन पर कब्जा न रह सके ऐसी स्थिति लेन्ड होल्डर क्रीएट करना चाह रहा हो। लेन्ड होल्डर को ही इजाजत देने का एब्सोल्यूट अधिकार न माना जावे और भूमि के सम्बन्ध में इम्प्रूवमेन्ट के निस्बत इन्कार करे तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार उसे दिया जावे यह मेरे संशोधन की मंशा है। और जिस प्रकार का स्टेटस सबलेटिंग का गैर खातेदार अथवा टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त का बनवाया है और जिस प्रकार के अधिकार इस बारे में उसे दिया है उनको देखते हुए इतने लिमिटेड राइट्स ऑफ इम्प्रूवमेन्ट्स न देना यह न सिर्फ उनके प्रति अन्याय होगा, पर जो अधिकार पहले दिये हैं उनके अन्दर भी हम कमी करेंगे। इसलिये इन दृष्टियों से मेरा यही निवेदन है कि इस मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मंत्री) माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूं कि इसमें जो अमेन्डमेन्ट सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ने रक्खा है वह १६ सी की धारा सदन ने स्वीकार की उसकी स्पिरिट को देखते हुए और इसके द्वारा जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम राइट ऑफ इम्प्रूवमेन्ट सब टिनेन्ट को भी दें। तो यह जो संशोधन पेश किया गया है वह मुझे स्वीकार है। लेकिन माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य का एक्चुअल अमेन्डमेंट क्या है वह मेरे पास नहीं है। अगर इसको स्वीकार करने के बाद वे अपना अमेन्डमेन्ट प्रेस न करना चाहते हों तो हम इसमें न पड़े।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा यह अमेंडमेन्ट आपके पास है, आप देख लें पहले इसको।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आप प्रेस करना चाहते हैं, आपके क्या ये शब्द हैं "Or in case of refusal by the land-holder, of the Sub-Divisional officer"

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह जुड़ेगा कैसे ?

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

"Noghair-khatedar tenant or tenant of khudkasht shall make any improvement unless he has obtained the consent in writing of his landholder or in case of refusal by the landholder, of the sub-Divisional officer."

श्री हरिकृष्ण व्यास:-In case he gets the perminssion of the S. D. O- he will be able to improve his land

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—But I think after accepting shri Goel's amendment that goes beyond that.

श्री हरिकृष्ण व्यास-That is in respect of minimum only but in respect of rest of the the land also certain rights accrue.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया- मैं समझता हूं कि इससे काम्प्लीकेशन्स अराइज़ हो जावेंगे। चूंकी हमारा मकसद यह नहीं है इसमें। हम स्पष्ट तौर से यह समझ कर चलें कि एक हद तक होल्डिंग पर पूरे अख्तियारात देने की बात है तो उस हद तक हमें अपने दिमाग साफ लेकर चलना चाहिये कि जितनी होल्डिंग है उसमें इम्प्रूवमेन्ट हो जावे और उससे काम्प्लीकेशन अराइज न हों इसलिये में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो चीज स्पष्ट करनी है उस सीमा तक और रास्ते इधर उधर के हम काम में न लें तो अच्छा है। ऐसी स्थिति में मैं आशा करता हूं कि आप (श्री हरिकृष्ण व्यास) अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें। आप, मुझे आशा है, कि सन्तोष करेंगे कि जो मैंने स्वीकार किया है उस हद तक तो जो अमेंडमेंट जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उससे सब टिनेन्ट को ज्यादा अधिकार मिलने वाले हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—माननीय चेयरमेन, यह हंसकर टालने जैसी बात नहीं है। जो अमेंडमेंट सवाई माधोपुर से आने वाले मेरे माननीय साथी ने पेश किया है और जिसको स्वीकार कर लिया गया है उससे सन्तोष माना जाना चाहिये तो उससे तो मुझे काफी सन्तोष है। और वह सन्तोष होना ही चाहिये।

लेकिन चीज यह समझ में नहीं आयी कि कौनसे ऐसे बड़े काम्प्लीकेशन्स मेरे इस अमेन्डमेन्ट को मान लेने से पैदा हो जावेंगे।

काम्प्लीकेशन एक होगा केवल और वह यह कि यदि लैण्ड होल्डर जो कि खुद खातेदार टिनेन्ट होगा या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के सिलसिले में खुदकाश्त होल्डर होगा यदि वह मिनिमम आराजी को छोड़कर बाकी का एरिया पर्सनल कल्टीवेशन के लिए रिज्यूम करना चाहें और इस हालत में रिज्यम करने का हक दिया है तो इम्प्रूवमेन्ट होने के बाद अगर रिजम्शन होगा तो कम्पेन्सेशन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसे देना पड़ेगा। इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कौनसी काम्प्लीकेशन हो जावेगी या ऐसा कौनसा पहाड़ गिर जावेगा ? सब टिनेन्ट ने इम्प्रूवमेंट किया है और पर्सनल कल्टीवेशन के लिए वह उसे रिज्यूम करता है तो जो इम्प्रूवमेन्ट सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के द्वारा उस पर किया गया है उस इम्प्रूवमेन्ट के लिये टिनेन्ट को या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को अगर कम्पेन्सेशन उसे देना पड़े तो ऐसा कौनसा बड़ा भारी अन्याय हो जावेगा ?

तो राइट ऑफ इम्प्रूवमेन्ट की इस धारा का जहां तक ताल्लुक है इसका सम्बन्ध एक चीज से है और वह है कम्पेन्सेशन से और कम्पेन्सेशन के बारे में यह दृष्टिकोण है कि अगर सब टिनेन्ट इम्प्रूवमेन्ट करे और उसे पर्सनल कल्टीवेशन के लिये कल जाकर खातेदार रिज्यूम करना चाहे तो रिज्यूम आप फौरन कराएंगे पर कम्पेन्सेशन उसे न देने देंगे। तो क्या इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन देने में भी आपको कोई सिद्धान्तिक एतराज है ? तो अगर इम्प्रूवमेंट के सिलसिले में कोई मुआवजा न दिया जावे सब टिनेन्ट को, ऐसा हमारा अगर उसूल बन गया है तब तो जरूर कम्प्लीकेशन्स होंगे वह तो मेरा अबभी खयाल है। पर इसका मैंने विचार नहीं किया है इसमें थोड़ी मेरी गलती भी कही जा सकती है कि संशोधन मेरा आपको पहले न मिला, पर बावूजद इसके आप सब-टिनेन्ट को लैन्ड होल्डर की मर्जी पर मत रक्खें। जहां तक आपका एस. डी. एम. तय करेगा वहां तक इसमें भी वह तय कर सकता है। जरूरत से ज्यादा आप लैण्ड होल्डर को रियायत न दें और जो सब टिनेन्ट को परेशान करने के इरादे से कोई रोकथाम लगा रहे हैं तो ऐसी ओथोरिटी होनी चाहिये जो इम्प्रूवमेन्ट की रीजनेबिलिटी को तय कर सके। और कम्पेन्सेशन का जहां तक प्रश्न है वह बिलकुल साफ है। इसमें कोई कम्प्लीकेशन नहीं है और अगर कोई काम्प्लीकेशन आप समझते भी हो तो वह सिर्फ यही कम्पेन्सेशन की काम्प्लीकेशन है और कम्पलीकेशन भी ऐसी नहीं है जो आपको हैरानी पैदा करती हो। इन शब्दों के साथ में फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे इस संशोधन पर फिर से विचार करें और इसको स्वीकार करने के लिए कोई तरीका निकालें।

श्री सभापति—क्लॉज़ ५१ के बाबत श्री श्रीदास गोयल का जो अमेंडमेंट है उसको मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ ५१ के बाबत एक अमेंडमेंट श्री एच० के० व्यास का है। क्या यह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

Page No.69

[श्री सभापति]

अमेंडमेंट ड्रॉप होगया।

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ५१, as amended, पास किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५१, एज अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खंड ५२, श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, क्लॉज ५२ की जगह में यह सब्स्टीट्यूट करना चाहता हूं ....

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, क्या सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट्स श्री श्रीदासजी की तरफ से आये हैं ?

श्री श्रीदास गोयल—मैं यह अपनी तरफ से दे रहा हूं। कोई बात करनी है तो प्राइवेट में पूछ लेना चाहिए। (हंसी)(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) में सब्स्टीट्यूट करना चाहता हूं क्लॉज ५२ की जगह और जो इस प्रकार हैं:—

"(1) Restrictions on making an improvement-

Nothing in this chapter shall entitee or be deemed to entitle a tenant or a landholder, not being the State Government.

(a) to make any improvement on, or

(b) to make any improvement detrimental to,

any land which is not included in the holding to be benefitted by such improvement unless such tenant or landholder has obtained the written consent of the landholder or, as the case may be, of the State Government and also of the tenant if any, of suchland.

तो ५२ डील करता है उन केसेज़ को जिनमें इम्प्रूवमेंट अपनी होल्डिंग पर नहीं करके बराबर की दूसरी जमीन पर करके अपने होल्डिंग को फायदा पहुँचाना चाहता है ऐसी हालत में जिस दूसरे

[श्री श्रीदास गोयल]

की जमीन पर इम्प्रूवमेंट करके अपनी जमीन को फायदा पहुँचाये तो उसके लिए निहायत जरूरी है कि इस प्रकार के इम्प्रूवमेंट करने से पहले वह जिसकी जमीन है कानून के अनुसार उसकी परमीशन प्राप्त कर ले। इसी मन्शा से मैंने ५२ वीं क्लॉज़ को यहां सबस्टीट्यूट किया है 'ए' एन्ड 'बी' सब-क्लोजेज, बनाकर ताकि यह चीज़ साफ हो जाय और उसके पढने से उसके समझने में सहूलियत हो जाय। एक तो डेट्रीमेंटल और दूसरे कन्सट्रक्टिव दोनों के लिए 'ए' और 'बी' अलग अलग तहरीर कर दिया है। मेरी मन्शा इसके पीछे यह है कि जो लेन्ड होल्डर हैं किसी जमीन के ऊपर, तो उसकी परमीशन और अगर लैन्ड होल्डर की जमीन नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है तो उसकी परमीशन और अगर एक टिनेन्ट दूसरा है और दूसरे के कब्जे में है तो बराबर लैन्ड होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट और उस टिनेन्टि से जिसके हाथ में जमीन का कब्जा है परमिशन लेना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(ट्रेजरी बेन्चेज़ पर कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं होने पर फुस-फुसाहट) माननीय चेयरमेन, इस बात पर साफ साफ रूलिंग हो जाना चाहिए कि कई बार ट्रेजरी बेन्चेज़ खाली पड़ी रहती है; यह क्या सदन का कार्यवाही के लिए नया तरीका सोचा जा रहा है? कम से कम एक या दो माननीय मंत्रियों को तो वहां रहना चाहिए। एक सदस्य को काम हो जाता है तो बाकी के मन्त्री क्या करते हैं? ८ या १० केबीनेट में हैं तो दूसरे आदमी नहीं बैठ सकते हैं। यह डिसरेस्पेक्ट है कि हाउस के अन्दर एक आदमी भी नहीं बैठे तो भी वह चलता रहे। यह रूलिंग आप देंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, मिनिस्टर महोदय को आप डिले (delay) करने के लिए सलाह दे रहे हैं।

श्री सभापति—इसमें खास रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर मिनिस्टर महोदय उपस्थित रहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(सदन में प्रवेश करते हुए) मैं बाहर भी रहता हूँ तो सुनता रहता हूं।

इस क्लोज के बारे में और किसी को कुछ नहीं कहना है। मुझे भी ज्यादा नहीं कहना हैं। जो अमेंडमेंट मूव किया है वह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री सभापति—क्लॉज़ ५२ में श्री श्रीदास गोयल का अमेंडमेंट है, उसको मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार कर लिया है। क्या सदन की अनुमति है कि यह पास किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.71

[श्री सभापति]

अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५२, एज अमेंडेड, विधेयक का अंग बने ।

Clause 52, as amended is added to the Bill

(विराम)

क्लॉज़ ५३, श्री श्रीदास गोयल ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ५३ इस प्रकार है :

"Liability for full rent:—A tenant making an improvement shall, in the absence of a written agreement to the contrary continue to be liable to pay the full rent of the holding."

जैसा कि ५२ के इम्पूवमेंट के सिलसिले में ५१ और ५२ हैं और इसके साथ में बाद में ५३ है कि उसको पूरा रेन्ट पे करने की लायबिलीटी होगी । । एक व्यक्ति एक कुआ बनाना चाहता है बराबर की जमीन में और उसको इरीगेटेड लेन्ड बना लेता है तो इरीगेशन के चार्जेज बहुत बढ़कर हो जाते हैं, तो ऐसी हालत में यह किस तरह से जरूरी है ? मैं चाहता हूं कि इसके पीछे एक प्रोवीजो इस प्रकार जोड़ दिया जाय :

"Provided that where such rent is payable in kind and the Sub-Divisional Officer is satisfied that an improvement made by a tenant of Khudkasht or a sub—tenant under section 51 has resulted in an increase of agricultural produce, the Sub—Divisional Officer shall on application by the tenant or sub—tenant, commute the rent into cash in accordance with the provisions of sections 78 and 79."

तो ७८ और ७९ इसी बिल के अन्दर रेन्ट कम्यूट करने के सिलसिले में प्रोवाइड करते हैं जैसा कि जरूरी है कि सबडिविजनल ऑफिसर को यह पावर्स दिये गये हैं; और ५१ में इम्पूवमेंट हो जाते हैं तो वह प्रोविज़ो इस क्लॉज़ में होना निहायत जरूरी है । इन एकार्डेन्स टू क्लॉज़ ५७ और ५७ ए को देखते हुए एक प्रोवीजो बाद में इस ५३ के नहीं ऐड करने से वह इनकम्लीट रह जाता है और इम्पूवमेंट करने वाले को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उस दृष्टि से मैंने यह प्रोवीजो एड किया है जिससे यह मन्शा पूरी हो जाती है तो ५३ में

[श्री श्रीदास गोयल]

पूरा रेन्ट पे करने के सिलसिले में लायबिलिटी हैं उसके लिए टिनेन्ट को अपने हक को रजिस्टर कराने की वैसे ही गुंजाइश है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन मेरे माननीय मित्र ने प्रस्तुत किया है वह है तो ठीक लेकिन उसका कुछ अंग ऐसा है जो मुझे रिडन्डेन्ट मालूम देता है। इसे अगर मैं पढ़ दूं तो उसके शब्द यह है।

"Provided that where such rent is payable in kind and the sub—Divisional Officer is satisfied that an improvement made by a tenant of khudkasht or a sub—tenant under section 51 has resulted in an increase of agricultural produce." यानि एक शर्त रखी गई कि अगर सब डिविजनल आफिसर को यह दूसरा सुझाये कि जो इम्प्रूवमेंट किये गये हैं उससे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडयूस इन्क्रीज हुई है तो वह सेक्शन ७८ और ७९ के मुताबिक केश कर देगा और सेक्शन ७८ और ७९ के अन्दर ऐसे रेस्ट्रिकशन्स न लगाये। इसमें वह पहले जनरल राइट देते हैं कि कोई भी जमीन पर केश रेन्ट कर दिया जाय तो Can apply and get the rent Commuted in Cash अब यह एग्रीकल्चरल प्रोडयूस इन्क्रीज हुई या नहीं इसके बारे में सब डिविजनल ऑफिसर को सेटिसफेक्शेन हुआ है क्योंकि यह आवश्यक है। यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर इम्प्रूवमेंट किसी ने किया है तो "on application the S. D. O. should be Prepared to commute the rent in cash.तो ठीक है। वह रीड करेगा :

"Provided that where such rent is payable in kind the S. D. O. shall on application by the tenant or sub-tenant commute the rent into cash in accordance with the provisions of sections 78 aud 79,"

मेरा खयाल है, यह तरीका ठीक रहेगा। अगर माननीय श्रीदासजी को मन्जूर हो तो इस बात पर विचार कर लें।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, जो अमेंडमेंट श्री हरिकृष्ण व्यास ने मूव किया है मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है लेकिन जिस तरह का अमेन्डमेन्ट श्री श्रीदासजी ने पेश किया है वह ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई इम्प्रूवमेंट अपनी जमीन पर करता है और उस इम्प्रूवमेंट के कारण पैदावार बढ़ जाती है लेकिन उस किसान से रेन्ट काइन्ड में लिया जाता है तो उस में कमी करना या केश में परिवर्तन करवाना जरूरी है और इसके लिये पहली बात तो यह है कि वह किसान दरख्वास्त दे चाहे वह टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हो या सब-टिनेन्ट हो, उसको एस. डी. ओ के पास दरख्वास्त देनी पड़ेगी। दरख्वास्त देने के बाद कम्युटेशन करने के लिये पार्टी आयगी। जब कोई नुकसान टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त या सब-टिनेन्ट को होता है इम्प्रूवमेंट के कारण काइन्ड में, रेन्ट देने में, तो उसके लिये यह कंडीशन रखी गयी है कि वह एस. डी. ओ. के पास

[श्री श्यामलाल गोयल]

दरख्वास्त दे। यदि किसी लैंड में इम्प्रूवमेन्ट हुआ है और रेन्ट काइन्ड में है उस सूरत में यदि दरख्वास्त पेश हो और एस. डी. ओ. यह देखे कि दर-असल में इम्प्रूवमेन्ट से फसल में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि काइन्ड में अब रेन्ट ज्यादा देना पड़ेगा हांला कि उस किसान ने खुद ने इम्प्रूवमेन्ट किया है तो एस. डी. ओ. को यह हक होगा कि वह कम्यूट कर दे। यह अमेन्डमेन्ट श्री श्रीदास जी पेश किया है और इस में डेफिनेटली यह बताया है कि इन इन सूरतों में कम्यूटेशन की जरूरत है। इसलिये मैं कहूंगा कि श्री श्रीदासजी का अमेन्डमेन्ट दुरुस्त है। उसको इसी हालत में पास करना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मिस्टर चेयरमेन सर, जो अमेन्डमेन्ट श्री श्रीदासजी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन एक बात जो क्लीयर नहीं है वह यह है कि दफा ७८ में कोई भी काश्तकार इस बात के लिये एप्लाई कर सकता है कि उसका काइन्ड का रेन्ट केश में कन्वर्ट कर दिया जाय तो फिर इम को इस क्लॉज़ की क्यों आवश्यकता पड़ी? यह स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि अगर किसी भी किसान या सब-टिनेन्ट को नुकसान नहीं पड़ता है और फिर भी वह काइन्ड में देना चाहता है तो वह क्यों कम्युटेशन के लिये दरख्वास्त देगा? वह दरख्वास्त तब देगा जब उसको काइन्ड में नुकसान होता है तो उसके लिये दफा ७८ में दरख्वास्त देना वाजिब है तो वह दरख्वास्त देता है कि काइन्ड के बजाय उसका रेन्ट केश में परिवर्तित कर दिया जाय। तो फिर यह प्रोविजन एड करने से क्या फायदा होगा? वह इस स्थिति में जैसा कि श्री एच.के.व्यास ने बताया बिल्कुल गलत हो जाता है जब कि दफा ७८ में इसके लिये साफ दिया हुआ है तो फिर इसको एड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

दूसरी बात यह है कि एस. डी. ओ. यह देखेगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडयूस में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं? यदि नहीं हुई है तो क्या केश में परिवर्तन नहीं कर सकता? यदि ऐसा मतलब है तो यह ७८ दफा के बरखिलाफ होता है। कोई भी टिनेन्ट ज्यादा या कम देता है तो क्लॉज़ ७८ के अनुसार वह परिवर्तन करा सकता है। क्या ज्यादा होगा तभी करा सकेगा और कम होगा तो नहीं करा सकेगा? यह बात नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस लाइट में विचार किया जाय तो यह सारा प्रोविजो गलत और रिडेन्डेन्ट हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो लफ्ज हटाने से रिडन्डेन्ट नहीं होता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) दरअसल में जो भावना है वह यह है कि जिस सब-टिनेन्ट ने खुद ने, इम्प्रूवमेन्ट करके पैदावार बढ़ाई है तो लगान में उसको मुनाफा होना चाहिये और वह ज्यादा लगान क्यों दे? काइन्ड में देता है तो पहले ५० मण अनाज होता था अब १५० मण होता है और छठे बांटे के हिसाब से भी अगर देगा तो उसको १५० का छठा बांटा देना पड़ेगा तो नतीजा यह होगा कि इम्प्रूवमेन्ट जो खुद ने किया है इसलिये वह केश में

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

कम्यूट कराना चाहेगा। अनाज में वृद्धि न हो तो भी केश में कम्यूट करा सकता है। हर हालत में केश कम्यूट करा सकता है, यह मंशा है। लेकिन जो मतलब श्रीदासजी चाहते हैं वह नहीं मिलता या तो वे भाषा में तब्दीली करें कि केश में कुछ रियायत दी जाय। यदि ऐसा नहीं है तो यह अमेन्डमेन्ट बे मतलब का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका डेफिनिट प्रपोजल क्या है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरी यह गुजारिश है कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—इम्प्रूवमेन्ट को ध्यान में रखकर उसके रेन्ट में कमी कर दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Will you like to amend your amendment ?

मैं समझता हूँ नीमके थाने से आनेवाले माननीय मित्र ने जो बात कही है वह वाजिब प्रतीत होती है। ऐसी हालत में सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य अपने अमेंडमेंट को और तरमीम करना चाहते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—मैं इसकी भाषा को और ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिये थोड़ा टाइम लूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भाषा तो साफ है "Provided that where such rent is payable in kind the S. D. O. shall, on application by the tenant or sub-tenant, commute the rent into cash in accordance with the provisions of Sections 78 and 79." बीच के सेन्टेन्स को ओमिट करदें।

श्री सभापति—श्री श्रीदास गोयल अपने अमेंडमेन्ट को और तरमीम करना चाहते हैं और इसके लिये टाइम चाहते हैं। क्या हाउस की अनुमति है कि उनको टाइम दिया जाय ?

(स्वीकृत)

इस क्लॉज़ पर विचार पोस्टपोन किया जाता है। आगे की क्लॉज़ ली जाती है।

खण्ड ५३ ए

श्री सभापति—Shri Tan Singh's amendment on clause 53 A.

(विराम)

He is not present.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It may be considered as moved by somebody else.

Substitute the word 'Tehsildar' for the word, 'court".

श्री नाथूराम मिर्धा—वे चले गये हैं।

श्री जवानसिंह—When the Government is prepared to accept his amendment I may be permitted to move this amendment as the Member concerned is not present.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Unless somebody objects you have a right to move an amendment. Why do you ask for the permisson ?

श्री सभापति—क्या यह समझा जाय कि श्री जवानसिंहजी इस संशोधन को पेश करें ?

(स्वीकृत)

श्री जवानसिंह—श्री तनसिंह जी के बदले श्री जवानसिंह जी को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान हुई।

श्री जवानसिंह—The amendment is:

"Substitute the word 'tehsildar' for the word 'court' occurring in the last line of sub-clause (2)"

मेरा ख्याल है यह साफ है, इसके बारे में कोई खास बात अर्ज करने की जरुरत नहीं है, सदन इसे मंजूर करे।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—Yes, I accept it.

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह जी द्वारा प्रस्तुत श्री तनसिंहजी का अमेन्डमेंट स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेंट स्वीकृत हुआ

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नोट नेसेसरी, इसमें 'कोर्ट' तो है। It would serve the purpose. 'Court' would do as it is.

श्री सभापति—यह तो बड़ी समस्या हो जाती है कि एक के अमेंडमेंट को एक बार एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर...

श्री दास गोयल—'कोर्ट' शब्द है इसमें, लेकिन क्लॉज़ ५३ ए के लिये 'तहसीलदार' लिखा है; पर ५३ के लिये कुछ नहीं। अगर कोर्ट शब्द बदस्तूर रहता है तो यह किसके लिये है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसको पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Not necessary.

श्री श्रीदास गोयल—शिड्यूल में लिया जावे, at the time of that schedule being taken into consideration.

श्री सभापति—शिड्यूल में ५३ के बाबत तो कुछ नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शिड्यूल लेंगे तब कन्सीडर करेंगे।

श्री सभापति—53 A,

जवानसिंह—Particularly when the amendment has been passed by the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before the final decision was given an objection was raised.

श्री सभापति—हाउस को अमेंडमेंट पास करने के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं लिया है इसलिये एक बार और मत ले लिये जांय। श्री जवानसिंहजी ने जो तनसिंहजी का अमेंडमेंट पेश किया है तो क्या सदन को स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

The amendment is lost

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ ५३ ए. पर मत लिये जाते हैं । क्या सदन को यह स्वीकार है ।

(स्वीकृत)

Clause 53 A. is added to the Bill.

खण्ड ५४

क्लॉज़ ५४ में २अमेंडमेंट हैं । इसमें टाइम लगेगा इसलिये आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है । कल तातील है इसलिये परसों ८ बजे सुबह मीट करेंगे ।

(सदन की कार्यवाही ११ बज कर ५५ मिनट पर २ सितम्बर १६५४ के ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ३१ अगस्त, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।